कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 60 अंक: 05 मार्च 2014 मूल्य : ₹ 10

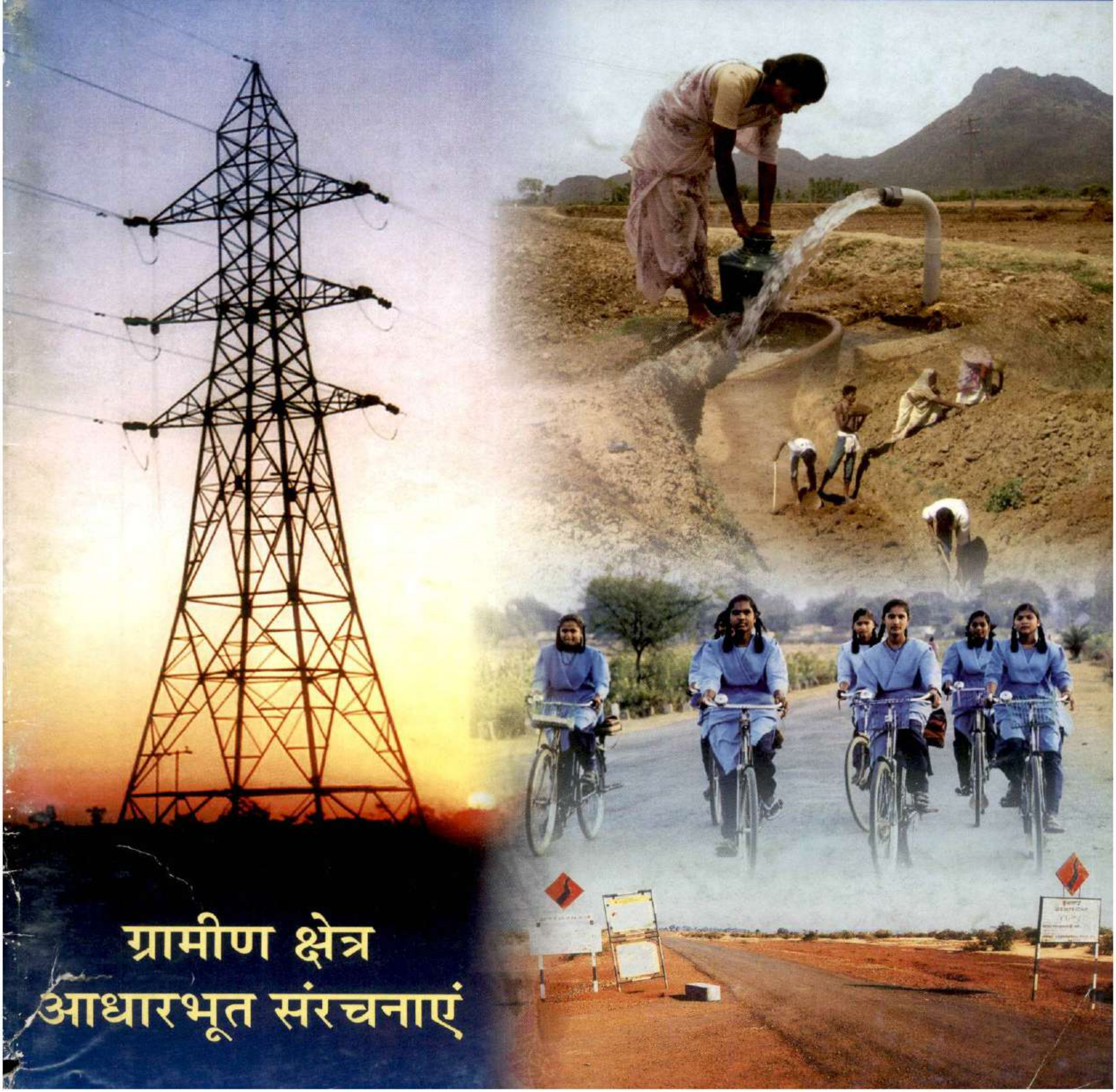

ग्रामीण क्षेत्र आधारभूत संरचनाएं

भारत 2014

अपनी अग्रिम प्रति जल्दी बुक कराएं

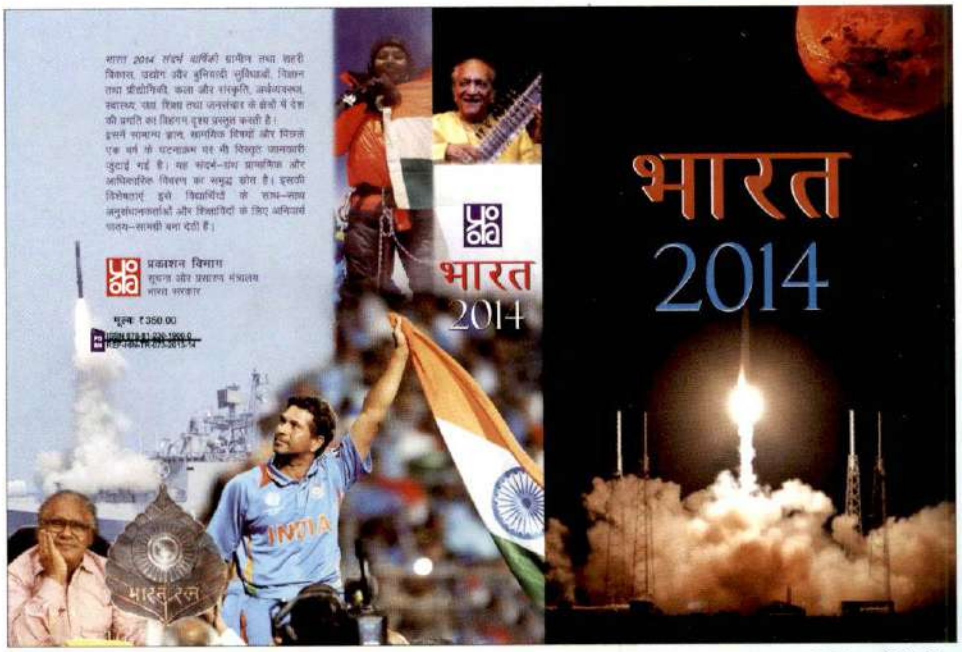

मूल्य : 350.00

हमारे सेल्स एंपोरियम और बिक्री कार्यालयों से सम्पर्क करें

- **नई दिल्ली**
  सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
  फोन: 011–24367260, 24365610
  फैक्स: 011– 24365609
  businesswng@gmail.com

- **दिल्ली**
  हॉल नम्बर–196, पुराना सचिवालय
  फोन: 011–23890205
  businesswng@gmail.com

- **कोलकाता**
  8, एस्प्लेनेड ईस्ट
  फोन: 033–22488030
  bengaliyojana@gmail.com

- **तिरुअनंतपुरम**
  प्रेस रोड, नियर गवर्नमेंट प्रेस
  फोन: 0471–2330650
  yojanamal50@yahoo.co.in

- **बंगलुरु**
  प्रथम तल , 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन,
  कोरामंगला
  फोन: 080–25537244
  yojanakannada@yahoo.com

- **पटना**
  बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग,
  अशोक राजपथ
  फोन: 0612–2683407

- **नवी मुंबई**
  701, 'सी' विंग, 7वीं मंजिल,
  केंद्रीय सदन, बेलापुर
  फोन: 022–27570686
  yngovt.patrika242@gmail.com

- **चेन्नई**
  'ए' विंग राजाजी भवन,
  बेसेंट नगर
  फोन: 044–24917673
  editorthittam@yahoo.co.in

- **हैदराबाद**
  ब्लॉक नं.–4, प्रथम तल,
  गृहकल्प कॉम्प्लेक्स,
  एम.जी.रोड, नामपल्ली
  फोन: 040–2460538
  yojana_telugu@yahoo.co.in

- **लखनऊ**
  हाल नं. 1, द्वितीय तल,
  केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज
  फोन: 0522–2325455

- **गुवाहाटी**
  के.के.बी.रोड, न्यू कालोनी,
  हाऊस नं.–7, चेनीकुथी
  फोन: 0361–2665090
  yojanaasomia@yahoo.co.in

- **अहमदाबाद**
  अंबिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
  पालदी
  फोन: 079–26588669
  yojanagujarati@gmail.com

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

website: publicationsdivision.nic.in
e-mail: dpd@sb.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

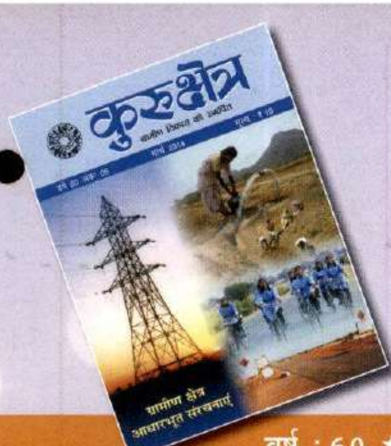

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 60 ★ मासिक अंक : 05 ★ पृष्ठ : 48 ★ फाल्गुन–चैत्र 1935★ मार्च 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
संजीव सिंह
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की वर्तमान स्थिति — सौरभ कुमार — 3

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना — डॉ. अर्जुन सोलंकी — 8

ग्रामीण आधारभूत संरचना की रीढ़ मनरेगा — विकास कुमार सिन्हा — 11

भारत निर्माण योजना की भूमिका — डॉ. कल्पना द्विवेदी — 15

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन — डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी — 19

पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना विकास — मनोज श्रीवास्तव — 22

गांवों में आधारभूत विकास का अवलोकन — कुमार राकेश — 27

बिहार में मजबूत होती आधारभूत संरचनाएं — मो. सनउवर अली — 31

पछेती गेहूं की अधिक पैदावार के लिए उन्नत विधियां — राजेन्द्र सिंह छोकर — 35

शकरकंदी खाएं, रोग भगाए — अखिलेश चंद्र यादव — 41

बालिका शिक्षा को समर्पित जीवन — इंद्रेश चौहान — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

'गांव' शब्द आते ही आज भी हमारे दिमाग में एक ऐसे क्षेत्र का चित्र उभरता है जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और जो भौतिक सुख–सुविधाओं से वंचित है। करीब एक दशक पहले तक यह सच भी था किंतु पिछले एक दशक में गांवों का परिदृश्य बदला है और वहां विकास दिखाई देने लगा है। न केवल गांवों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं बल्कि लोगों का जीवन–स्तर भी सुधरा है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन बदलाव की बयार तो बहने ही लगी है।

जब हम गांवों में आधारभूत संरचना के विकास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में विकास से होता है। आर्थिक आधारभूत संरचनाओं में सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, सूचना, बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र शामिल हैं तो सामाजिक आधारभूत संरचनाओं से तात्पर्य स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं शिक्षा के विकास से है। आधारभूत संरचनाओं के अभाव में विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है क्योंकि यही एक तत्व है जो सामूहिक रूप से लोगों के सशक्तिकरण को पोषित और प्रेरित करता है। साथ ही आधारभूत संरचनाओं के विकास के बिना इस पर निर्भर अन्य क्षेत्रों का विकास भी मुश्किल है। अतः ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास पहली शर्त है।

भारत के गांवों की 70 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। ऐसे में कृषि क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विकास बेहद अहम है जिसमें सिंचाई, बाढ़ रोकथाम और कमांड क्षेत्र विकास आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और इंदिरा गांधी नहर योजना कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ही चलाए और इनके बेहतर परिणाम भी देखने में आए। ग्रामीण क्षेत्र आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में मनरेगा एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा 2006 में शुरू की गई थी। इसके सात साल बाद भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर काफी बदल चुकी है। इस योजना के द्वारा कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा कानून के प्रावधानों के तहत इसके दायरे में प्रमुख रूप से जल एवं मिट्टी संरक्षण, वनीकरण, भूमि विकास के कार्य शामिल किए गए हैं। 4 मई, 2012 को 30 अन्य कार्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ भी इसका अभिसरण किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबी निवारण परियोजना के रूप में प्रमुख तौर पर चिन्हित किया गया है।

मनरेगा न केवल गांवों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहा है साथ ही इससे लोगों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। परिणामस्वरूप गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है और ग्रामीणों को न्यूनतम रोजगार गारंटी के चलते उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास की एक समयबद्ध योजना है। भारत निर्माण के तहत सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। भारत निर्माण कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें गांवों को सहायता देकर आगे बढ़ाने के बजाय उनके लिए ऐसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने की कोशिश की गई है कि वे उस नींव पर स्वयं का विकास कर सकें। यह योजना गांवों को बैसाखियां न देकर उन्हें अपने ही पैरों पर मजबूती से खड़ा होने लायक बनाती है। भारत निर्माण योजना को दो चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण वर्ष 2005–09 तक था तथा दूसरा चरण 2009–2014 तक है।

अगर ग्रामीण विद्युतीकरण के महत्व को देखा जाए तो किसी देश ने कितनी प्रगति की है यह जानने की कसौटी यह है कि उस देश के कितने गांवों तक बिजली पहुंची है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' को भारत निर्माण का अंग बना दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2011–12 में 7934 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 34.44 लाख बीपीएल परिवारों को कनेक्शन मुहैया कराया जा चुका है। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसीलिए गांवों को पक्की सड़कों से शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2012 तक सभी गांवों में पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं और उन्हें शहरों से जोड़ा गया है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत गांवों में दूरसंचार के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि गत वर्षों में कृषि क्षेत्र में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि उपज बढ़ाने, फसल को रोगमुक्त रखने, मिट्टी परीक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, उन्नत तकनीक व बीजों के उपयोग आदि के संबंध में किया जा रहा है।

आज जब हम दूसरी हरितक्रांति का सपना देख रहे हैं और 2015 तक खाद्यान्न उत्पादन को 31 करोड़ टन से 42 करोड़ टन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत निर्माण के तहत लगातार दो से अधिक चरणों में कुल 107 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक अनुमानतः 5000 करोड़ रुपये विशेष जल प्रबंधन हेतु स्वीकृत किए गए हैं। इंदिरा आवास योजना को भी भारत निर्माण का हिस्सा बना दिया गया है जिसके अंतर्गत 2005–06 से 2008–09 के दौरान 60 लाख घर बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़कर 71.76 लाख घरों का निर्माण किया गया। भारत निर्माण के दूसरे चरण के अंतर्गत 1.20 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति भी भारत निर्माण योजना का अंग है।

संक्षेप में, भारत निर्माण, मनरेगा, 'पूरा' प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रुरल एरिया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्वावलंबन, जननी सुरक्षा योजना जैसी कई योजनाओं के तहत गांवों की आर्थिक और सामाजिक बुनियाद को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार अवसंरचना निर्माण पर काफी व्यय कर रही है इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए हमें ग्रामीण योजनाओं को एकीकृत करते हुए उनमें एक समन्वय कायम करना होगा तथा तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता बढ़ानी होगी।

ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की वर्तमान स्थिति

सौरभ कुमार

हम पाते हैं कि इतनी सारी योजनाओं के होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाया है। कभी-कभी ये योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, पर इनके लिए न तो पर्याप्त धन और न ही मानव संसाधन का ठीक ढंग से आवंटन होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अतः सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अपने साथ निजी क्षेत्र के लोगों को जोड़ना होगा। हमें ग्रामीण योजनाओं को एकीकृत करते हुए उनमें एक समन्वय कायम करना होगा तथा इनका लाभ अवसंरचना विकास सहित ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में लेना होगा।

गांव शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा क्षेत्र चित्रित होता है जहां की आबादी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह सही भी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हीं हैं जहां इस तरह की बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत की शहरी आबादी करीब 50 प्रतिशत तक हो जाएगी। भारत गांवों का देश है, क्योंकि वर्तमान में यहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। अतः एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इन पिछड़े, वंचित किन्तु बहुसंख्य आबादी के हित में कार्य करे। यद्यपि सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारे कदम इस दिशा में उठाए हैं, लेकिन 66 सालों के बाद भी वांछित सुधार प्रतीत नहीं होता, खासकर आधारभूत संरचनाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। क्या कारण है कि बेहतर उद्देश्य से निर्मित ये नीतियां ज़मीनी-स्तर पर वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकीं, और उनका अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाया? इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें क्रियान्वयन की प्रक्रिया में खामियों सहित नीतिगत-स्तर पर मौजूद विसंगतियां महत्वपूर्ण हैं। अतः हमें ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए नीतिगत-स्तर सहित क्रियान्वयन

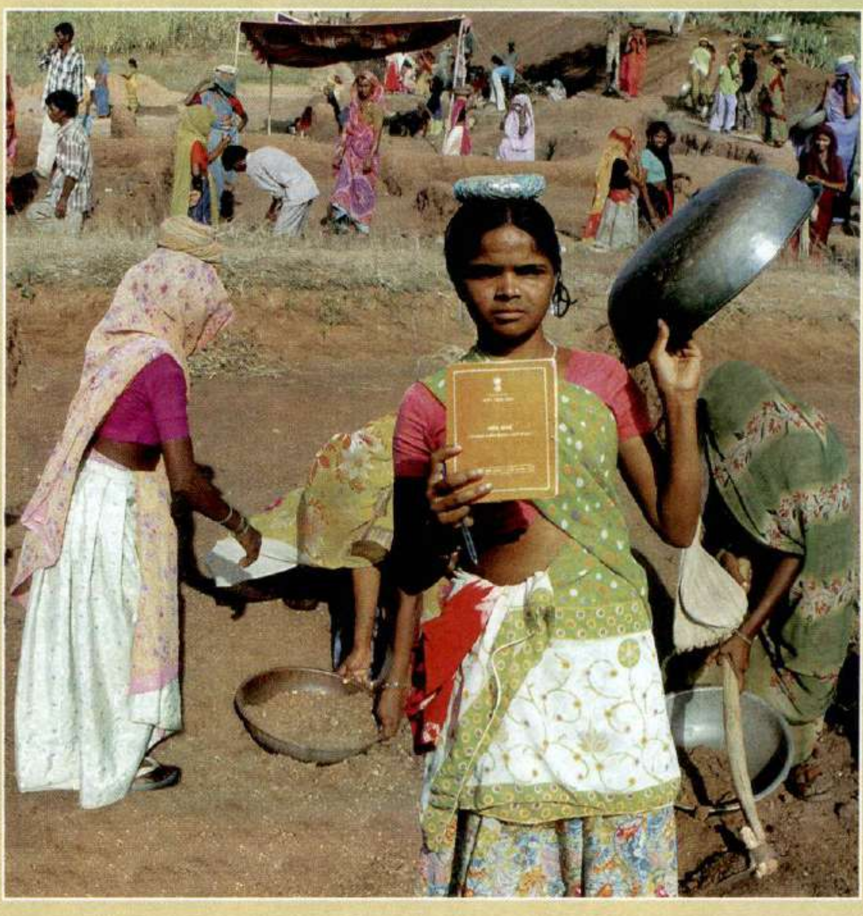

रोकथाम एवं कमांड क्षेत्र विकास आदि शामिल है। भारत सरकार ने सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम को 1973–74 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वातावरण संतुलन को भूमि, जल, और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित विकास द्वारा पुनः स्थापित करना था। इसी प्रकार से मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977–78 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुभूमि क्षेत्रों में सूखे के असर को खत्म करना था तथा साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन कायम करना और भूमि व जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता का विकास करना था। कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अन्य योजना इंदिरा गांधी नहर योजना है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज और व्यास के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकलती है। इस नहर द्वारा मुख्यतः थार रेगिस्तान क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों के जीवन–स्तर में काफी सुधार हुआ है।

पक्ष को भी मजबूत, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना होगा। साथ ही आधारभूत संरचनाओं को तकनीकी और प्रबंधकीय रुप से परिष्कृत करना होगा।

आधारभूत संरचनाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है:

- **आर्थिक आधारभूत संरचनाएं** : इनमें शामिल हैं सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, सूचना और बैंकिंग तथा वित्त आदि ।
- **सामाजिक आधारभूत संरचनाएं** : स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं शिक्षा आदि।

आधारभूत संरचनाओं के अभाव में विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि यही एक तत्त्व है जो सामूहिक रूप से लोगों के सशक्तिकरण को पोषित और प्रेरित करता है। साथ ही आधारभूत संरचनाओं के विकास के बिना स्वाभाविक रूप से निर्भर अन्य क्षेत्रों का विकास मुश्किल है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अतः ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए।

हालांकि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता के बाद कई योजनाएं और नीतियां संचालित की हैं। इनमें कुछ योजनाओं की दशा और दिशा से हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं।

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधारभूत संरचनाएं

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधारभूत संरचना में सिंचाई, बाढ़

कृषि क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में मनरेगा एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। विश्व की सबसे बड़ी व महत्वाकांक्षी परियोजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसके 6 साल बाद भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर आज काफी बदल चुकी है। इस योजना के द्वारा कृषि क्षेत्र की सहयोगी सहित कई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा कानून के प्रावधानों के तहत इसके दायरे में प्रमुख रूप से जल व मिट्टी संरक्षण, वनीकरण, भूमि विकास के कार्य शामिल किए गए हैं। 4 मई, 2012 को 30 अन्य नए कार्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ भी इसका अभिसरण किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबी निवारण परियोजना के रूप में प्रमुख तौर पर चिन्हित किया गया है।

ऊर्जा अवसंरचनाएं

सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक प्रमुख आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी एवं अन्य पारंपरिक ईंधन स्रोतों का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति हेतु किया जाता है। अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है और जहां पहुंची भी है वहां आपूर्ति नियमित और पर्याप्त नहीं है। सरकार ने अगस्त 2006 में ग्रामीण विद्युतीकरण नीति लागू की थी जिसके

तहत वर्ष 2009 तक सारे ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचानी थी। इसके तहत उन गांवों को विद्युतीकृत मान लिया जाता है जहां :

- यदि बेसिक साधन जैसेकि वितरण ट्रांसफार्मर और लाइंस मौजूद हैं।
- यदि कम से कम 10 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया हो।
- यदि सभी सार्वजनिक स्थानों पर बिजली पहुंच चुकी हो।

इन दिशा–निर्देशों से हम लोग सांख्यिक तौर पर तो गांवों को विद्युतीकृत कर लेंगे, पर वास्तव में क्या ये ग्रामीण लोगों के जीवन में कोई सुधार ला पाएगा। इसके साथ–साथ भारत सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में विषमता और बाधाएं दूर करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चला रही है–

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना : इस योजना का शुभारम्भ 4 अप्रैल, 2005 को इस उद्देश्य के साथ किया गया कि इससे सारे गांवों तथा कस्बों को विद्युतीकृत किया जाएगा, और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 33 /11 के वी ए या 66/11 के वी ए वाला सब स्टेशन – ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर ई डी बी) और प्रत्येक गांव में कम से कम एक ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।

सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना : इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर गांवों में आधारभूत बिजली या प्रकाश की व्यवस्था नवीकरणीय स्रोतों द्वारा करना था। विशेष वरीयता आंतरिक अशांति द्वारा प्रभावित गांवों को दी जाती है।

कुटीर ज्योति योजना : अनुसूचित जाति एवं जनजाति, तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस योजना का शुभारम्भ 1988–89 में किया गया था। प्रत्येक परिवार को एक बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना : ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सरकार ने लकड़ी तथा अन्य पारम्परिक ईंधन के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर, 2009 को की। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी घनत्व बढ़ाना है।

परिवहन

ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं में परिवहन संरचना की अहम् भूमिका है। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था की बेहतर उपस्थिति निःसंदेह ग्रामीण आबादी के जीवन–स्तर में आमूलचूल परिवर्तन लाती है। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमो में सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। यह भारत सरकार के भारत निर्माण योजना के छह घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी सड़कविहीन ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य संपर्क से जोड़ने के लिए इस योजना को दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत उन गांवों को जोड़ा जाना था जहां की जनसंख्या 500 (मैदानी इलाकों में) और 250 (पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्र, तथा जनजातीय क्षेत्र) है। यद्यपि सड़क संपर्क के विकास में इस योजना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन सरकार ने दूसरे साधन जैसेकि आंतरिक जलमार्ग की पूरी तरह से अनदेखी भी की है। भारत में नदियों और नहरों का जाल है और इसलिए आंतरिक जलमार्ग का विकास एक अत्यंत ही आर्थिक और टिकाऊ परिवहन के साधन के रूप में किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर राज्यों मुख्यतः असम में जलमार्ग का उपयोग होता है लेकिन ना तो ये संगठित है और ना ही पर्याप्त है। देश

के अन्य भागों में तो स्थिति और भी खराब है तथा जो पहले के जलमार्ग काम में आते थे वो भी समापन के करीब हैं। अतः इस सन्दर्भ में एक केंद्रीयकृत योजना की जरुरत है जो राज्यों को आंतरिक जलमार्ग के विकास के लिए प्रोत्साहित करे।

वित्त एवं बैंकिंग

ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण एवं निरंतरता के लिए वित्त एवं बैंकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। नए निवेश तथा रोजगार सृजन के लिए इस संरचना का विकास जरूरी है। साथ ही गरीबों में बचत की प्रवृत्ति के लिए भी इस क्षेत्र का विकास आवश्यक है। भारत सरकार ने बैंकिंगरहित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वित्तीय समावेशन पर जोर दिया है। इसके लिए कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। स्वाभिमान योजना के तहत गरीबों के लिए अकाउंट खोलने की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपना पैसा बैंकों में रख सकें। इस तरह से एक तो उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहेगी, साथ ही इस पैसे का उपयोग अन्य विकास के कामों में किया जा सकेगा।

स्वावलम्बन भी एक पेंशन योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति साल भर में कम से कम 1000 रुपये का योगदान कर सकता है। इस पर सरकार भी अपनी तरफ से 1000 रुपये का योगदान देती है जो उस आदमी को बाद में पेंशन के तौर पर मिलती है।

शिक्षा

मानव को मानव बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। एक अशिक्षित व्यक्ति न तो अपनी भलाई सोच सकता है और ना ही समाज की। एक लोकतांत्रिक देश में, जहां लोग अपनी सरकार चुनते है, शिक्षा एक निर्णायक घटक के रूप में काम करती है। सरकार ने ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं इनमें सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में पूरे देश में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 साल के बच्चों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा देना है। साथ ही इसके द्वारा लैंगिक भेदभाव को मिटाना भी एक उद्देश्य रहा है। हमारे संविधान ने भी प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करके एक बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। मध्याह्न भोजन योजना को 15 अगस्त, 1995 में शुरू किया गया। इस योजना ने न केवल गरीब बच्चों को भरपेट भोजन दिया बल्कि उनको स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इससे गरीब माता–पिता को भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योजना के रूप में बनायी गई जिसे मार्च 2009 में प्रारम्भ किया गया।

हालांकि सरकार ने योजनाएं तो शुरू की, पर इनका वांछित परिणाम अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी भी हमारे देश की 26 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। साथ ही जो साक्षर हैं उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। टीम लीज के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे 50 प्रतिशत से ज्यादा स्नात्तक उत्तीर्ण छात्र रोजगार के लायक नहीं हैं। हम अपनी जीडीपी का 2 प्रतिशत से भी कम शिक्षा पर खर्च करते हैं जिससे शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक संसाधन का इंतजाम नहीं हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ठोस इंतजाम करे।

स्वास्थ्य

एक स्वस्थ मनुष्य से ही बेहतर उत्पादकता की उम्मीद की जा सकती है तथा वह देश की तरक्की में सहायता कर सकता है। एक तरफ जहां पूरे देश में इस आधारभूत संरचना की खराब स्थिति है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बहुत ही बदतर है। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, और कहीं डॉक्टर है भी तो वो अस्पताल नहीं जाते। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के विकास के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं–

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में सहज, वहनीय, पर्याप्त तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। इस योजना ने आशातीत सफलता प्राप्त की है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुनर्गठन : सरकार द्वारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है तथा डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है ताकि इन केन्द्रों पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना : इस योजना को मुख्यतः गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा के रूप में 30000 रुपये की धनराशि देने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि बीमार होने पर उनका बिना किसी चिंता के इलाज सम्भव हो सके।

जननी सुरक्षा योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में करना है। 12 अप्रैल, 2005 से लागू होने के पश्चात इसने मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

आवास योजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना इंदिरा आवास योजना है। यह योजना 1985–86 से चल रही है। इसके तहत गरीब परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर, विधवा, विकलांग, मैला ढोने वाले आदि लोग पात्र हैं। इन्हें आवास बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70 हजार तथा पहाड़ी या असमतल क्षेत्रों में 75 हजार रुपये प्रति आवास वित्तीय मदद दी जाती है। इस पर होने वाले व्यय में केंद्र का योगदान 75 प्रतिशत तथा राज्य का 25 प्रतिशत होता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी केंद्र–राज्य के लिए 90–10 होती है।

ग्रामीण पर्यटन उद्योग

ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकसित होने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहां देश के सर्वाधिक पर्यटन जिसमें ग्रामीण, साहसिक, प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। इनको अधिक विकसित और प्रचारित करके हम इसे एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक बेहतर संस्थागत–तंत्र तैयार करना होगा। इससे क्षेत्र के युवाओं के रोजगार का एक नया क्षेत्र सृजित होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दसवीं योजना से ही ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत कर दी थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति, कला–शिल्प को बढ़ावा देकर इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना था। इसके लिए आधारभूत संरचना व मानव संसाधन के लिए सरकार सहायता व निवेश करती है।

इन सबके अलावा केंद्र सरकार ने भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में की थी जिसमें सड़क, घर, बिजली, पीने का पानी एवं स्वच्छता, दूरसंचार, तथा सिंचाई पर ध्यान दिया गया है। लेकिन हम पाते हैं कि इतनी सारी योजनाओं के होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाया है। कभी–कभी ये योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, पर इनके लिए न तो पर्याप्त धन और न ही मानव संसाधन का ठीक ढंग से आवंटन होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पक्षपात का महत्वपूर्ण हाथ है। यह जरुरत से कम विकास कर पाता है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाते, जोकि वृहद् स्तर पर लोगों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने पर विवश करता है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं बल्कि शहरों में स्लम का निर्माण, यातायात पर अत्यधिक बोझ, आवास की समस्या पैदा हो जाती है। अतः सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अपने साथ निजी क्षेत्र के लोगों को जोड़ना होगा।

डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित 'पूरा' (प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रुरल एरिया) की अवधारणा इस दिशा में बिलकुल सही कदम है। इसका उद्देश्य शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करके और भी बेहतर सुविधाओं वाले जीवन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और शहरी सुविधाएं उपलब्ध करना है। यह परियोजना ग्राम पंचायत और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी करके पी.पी.पी. के अंतर्गत लागू की जाती है और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के संपर्क में इस हेतु रहता है।

उपरोक्त सभी कार्यक्रम व योजनाएं ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण और उसके लाभों के लिए लागू की गई जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रतिफल प्रदान किए हैं। किन्तु अब भी हमारी ग्रामीण अवसंरचनाओं के वास्तविक लाभ व वांछित स्तर प्राप्त नहीं हो पाए है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण शहर की ओर ग्रामीण आबादी का पलायन है। हमें ग्रामीण योजनाओं को एकीकृत करते हुए उनमें एक समन्वय कायम करना होगा तथा इनका लाभ अवसंरचना विकास सहित ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में लेना होगा। ग्रामीण विकास की राह में अवसंरचना कमी को प्रमुख अवरोधक माना जाता है किन्तु यह भी वास्तविकता है कि अवसंरचना निर्माण पर सरकार का व्यय भी काफी अधिक है। इसके बावजूद वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हमें तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता को बेहतर निगरानी और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए सक्षम बनाना होगा।

(लेखक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में कार्यरत हैं।)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

डॉ. अर्जुन सोलंकी

ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफी प्रभावशाली साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से जो गांव बारहमासी सड़क (मुख्यमार्ग) से जुड़ चुके हैं वहां के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कई परिवर्तन दिख रहे हैं। इन सड़कों के माध्यम से जहां एक ओर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती सांसों के टूटने का सिलसिला थमा है, वहीं बच्चे आसपास के मनचाहे स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने की तमन्ना पूरी करने लगे हैं एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल रही है। दूसरी ओर कृषि के स्वरूप में भी बदलाव आया है, कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और यातायात सरल, सुगम एवं आरामदायक हुआ है।

यह सर्वविदित है कि भारत एक विकासशील, कृषि प्रधान और गांवों का देश है। इस देश की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में ही निवास करती है और जिनके विकास का आधार सड़कें ही हैं क्योंकि सभी मौसमों में आवागमन के लिए उपयुक्त सड़कों के अभाव में एक ओर किसान को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाता और दूसरी ओर उसे अपनी जरूरत का अधिकांश सामान महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। पक्की सड़क के अभाव में गांववासी गम्भीर रूप से बीमार लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए शहर नहीं ले जा सकते और अच्छी सड़कों के अभाव में कोई डॉक्टर आसानी से गांव आने को तैयार नहीं होता। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, कृषि वैज्ञानिक आदि भी गांव जाने को तैयार नहीं होते। अच्छी सड़कों की कमी के कारण पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को अपने कृषि उत्पाद सस्ते दामों में बेचने पड़ते हैं। चूंकि दुर्गम स्थानों से ऐसे माल को मंडियों या नगरों तक लाने में इतना खर्च आता है कि वह प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाता।

उक्त तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सड़कों के अभाव में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई काफी बढ़ गई थी। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी न तो देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान कर पा रहे थे और न ही विकास योजनाओं का पूर्ण लाभ उठा पा रहे थे। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न योजनाकालों में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ परन्तु फिर भी 40 प्रतिशत गांव ऐसे थे जहां हर मौसम में आवागमन योग्य सड़कों का अभाव था। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो इन गांवों में किसी तरह जाया जा सकता था परन्तु बरसात के चार महीनों में इन गांवों का बाहरी दुनिया से सम्पर्क टूट जाता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं

जटिल समस्या थी जिसका समाधान केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' लागू कर किया गया है। यह एक केन्द्रीय योजना है और इसका समूचा खर्च केन्द्र सरकार ही उठाती है। इस योजना के लिए धन की व्यवस्था डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर के उपकर से की जा रही है। अतिरिक्त डीजल पर उपकर का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव को योजना क्रियान्वयन के अगले 3 वर्ष के भीतर तथा 500 से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव को वर्ष 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए सड़क सम्पर्क मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था।

यहां यह बताना भी उचित होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सपना था। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस लोकप्रिय एवं अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु किए गए सतत् प्रयासों के आधार पर कई विशेषज्ञों ने यह माना था कि इस योजना के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन से देश में ग्रामीण विकास की गति तेज होगी, निर्धनता में कमी आएगी और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को न केवल ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा वरन् गरीबी हटाओ कार्यक्रम का भी आवश्यक अंग माना गया है।

अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति

प्रस्तुत लेख में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य रहा है। उक्त अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले के अन्तर्गत आने वाले 4 विकासखण्डों (इन्दौर, महू, सांवेर एवं देपालपुर) का चुनाव किया गया। तथा प्रत्येक विकासखण्ड से 5–5 गांव जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बारहमासी सड़कों (मुख्यमार्गो) से जुड़कर लाभान्वित हो रहे है, का चयन दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा किया गया। यही नहीं प्राथमिक समंकों के संग्रहण हेतु प्रत्येक गांव से 11–11 ग्रामीण सूचनादाता का चयन भी दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा किया गया। इस प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड से 55 तथा कुल 220 सूचनादाताओं से समंक एकत्रित कर उनका गहन अध्ययन किया। और योजना की तह (वास्तविक स्थिति) तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ग्रामीणों की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव

इसके अंतर्गत मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना एवं संचार पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है जो इस प्रकार है:–

स्वास्थ्य पर प्रभाव

अध्ययन में सम्मिलित 98.18 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि गांव तक सड़क बनने से रोगी को शहर के अस्पताल ले जाने में सुविधा हुई है। इसी प्रकार 72.73 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि सड़क बनने से अब शहरी चिकित्सक भी इलाज करने के लिए गांव आ रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में 85 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि सड़क बनने से पहले की तुलना में मृत्युदर में कमी आई है। वहीं 20.45 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि सड़क बनने के बाद शासन द्वारा हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है जिससे रोगी की जान बचाना सम्भव हुआ है।

शिक्षा पर प्रभाव

इस संदर्भ में 87.73 प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहा कि सड़क बनने से शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं 98.18 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से बच्चों को स्कूल/कॉलेज जाने में सुविधा हुई है जिससे वे अब अच्छी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। अध्ययन में सम्मिलित 80 प्रतिशत सूचनादाताओं ने यह भी माना कि सड़क बनने से अंधविश्वास, छुआछूत एवं ऊंच–नीच की भावना में भी कमी आई है। स्वयं लेखक ने भी समूह चर्चा एवं अवलोकन में यह पाया कि ग्रामीण लोग अब किसी नक्षत्र

को नहीं मानते और प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यही नहीं ऊंच–नीच की भावना से ऊपर उठकर एक ही बस में एक ही सीट पर बैठकर यात्रा करते हैं। निजी वाहन से आते–जाते समय यदि कोई मार्ग में मिल जाता है, तो उसे बिना किसी जातीय भेदभाव के बैठा लिया जाता है। इसी प्रकार 82.27 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि सड़क बनने के बाद शासन द्वारा हमारे गांव में माध्यमिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है जिससे गांव में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

सूचना एवं संचार पर प्रभाव

इसके अंतर्गत 60.91 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि सड़क बनने से अब गांवों में अधिकारियों का दौरा हो रहा है, और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी समय पर आसानी से मिल रही है। इसी प्रकार 52.27 प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहा कि सड़क बनने से गांव में अखबार आ रहा हैं जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। 15 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि सड़क बनने के बाद शासन द्वारा हमारे गांव में डाकघर (पोस्ट ऑफिस) की स्थापना की गई है। अध्ययन क्षेत्र में 60 प्रतिशत सूचनादाताओं ने माना कि सड़क के सहारे टेलीफोन लाइन को भी गांव तक लाने में सहायता मिली है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, उद्योग, व्यापार एवं परिवहन पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है।

कृषि पर प्रभाव

सर्वेक्षित 64.55 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि सड़क बनने से कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 88.64 प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्वीकार किया कि सड़क बनने से कृषि करने के स्वरूप में बदलाव आया है अर्थात् अब नलकूपों, डीजल इंजनों तथा ट्रेक्टरों की संख्या बढ़ गई है जिससे कृषि कार्य में तेजी आई है। अध्ययन में सम्मिलित 77.73 प्रतिशत सूचनादाताओं ने यह माना कि सड़क बनने से पहले की तुलना में नए–नए खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग बढ़ा है। इसी प्रकार 43.64 प्रतिशत सूचनादाताओं का यह कहना था कि सड़क बनने से गहन खेती करने (दो से अधिक फसल उगाने) का चलन बढ़ा है।

उद्योग पर प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित होने की स्थिति सड़क बनने के बाद भी नगण्य ही पायी गई है जबकि 15.45 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि हमारे गांवों में नए कुटीर उद्योग, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन, रस्सी, टोकरी, झाड़ू, प्लास्टिक के खेल–खिलौने, चमड़े के जूते आदि बनाए जाते हैं, स्थापित हुए हैं। साथ ही पुराने कुटीर उद्योगों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

व्यापार एवं परिवहन पर प्रभाव

इस संदर्भ में प्राप्त समंकों में लगभग 93 प्रतिशत सूचनादाताओं का यह कहना था कि बाजार या मंडी में हमको अपने उत्पादन का सही मूल्य मिल रहा है, और इससे हमारी आय बढ़ी है। इसी प्रकार 75.91 प्रतिशत सूचनादाताओं ने माना कि सड़क बनने से शहर एवं गांव में मिलने वाली एक ही प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में समानता आई है। अध्ययन क्षेत्र में 99.09 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से किसी भी साधन द्वारा बाजार, मंडी अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने में समय की बचत हुई है। विश्लेषण में 97.27 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना था कि सड़क बनने से विभिन्न प्रकार की फसलों एवं खाद्य पदार्थों को बाजार या मंडी तक ले जाने में सुविधा हुई है। 45.45 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने के बाद हमने नया वाहन खरीदा है। इसी प्रकार 95 प्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया कि सड़क बनने से ग्रामीण यातायात सरल, सुगम और आरामदायक हुआ है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफी प्रभावशाली साबित हो रही हैं क्योंकि इस योजना के माध्यम से जो गांव बारहमासी सड़क (मुख्यमार्ग) से जुड़ चुके हैं वहां के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कई परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन सड़कों के माध्यम से जहां एक ओर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती सांसों के टूटने का सिलसिला थमा है, वहीं बच्चे आसपास के मनचाहे स्कूल–कॉलेजों में पढ़ने की तमन्ना पूरी करने लगे हैं एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि करने के स्वरूप में बदलाव आया है, कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है एवं यातायात सरल, सुगम एवं आरामदायक हुआ है। उक्त परिवर्तन इस बात का संकेत है कि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का एक अंग दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है जो भारत के तीव्र विकास हेतु आवश्यक है।

अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.)
ई–मेल : arjun.solanki52@yahoo.com

ग्रामीण आधारभूत संरचना की रीढ़ मनरेगा

विकास कुमार सिन्हा

ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत मनरेगा ने सफलता का परचम लहराया है। कई लोग बाहर के महानगरों में नौकरी छोड़कर अपने घरों में मनरेगा में काम कर रहे हैं। इससे आदिम आदिवासियों को यह लाभ हो रहा है कि वह अपने घरों में ही नौकरी कर रहे हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा गया है और गांवों में अस्पताल तथा इलाज पर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

देश की आत्मा गांवों में बसा करती है। अगर गांवों का विकास नहीं हो पाया, तो यह राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। भारत सरकार ने देश के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए ग्रामीण स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। वर्ष 1992 में 72 व 73वें अधिनियम के तहत कानूनन संशोधन किया गया। तब जाकर ग्रामीण स्तरों पर पंचायत का गठन किया जा सका। इस अधिनियम के बनने के कारण झारखंड जैसे आदिवासी राज्यों में पेसा कानून को धरातल पर उतारा गया जहां हरेक गांवों की अपनी सभ्यता और परंपराएं हैं।

ग्रामीण आधारभूत संरचना की बात करें, तो झारखंड के गांवों में समृद्ध परंपराएं और ग्रामीण औद्योगिकीकरण है। भारत सरकार ने गांवों में आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया। इसमें मनरेगा व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आरएसबीवाई को लागू किया गया है। इन योजनाओं पर अगर गौर करें, तो जहां मनरेगा से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है वहीं इससे पलायन में कमी आयी है, और मानव तस्करी पर रोक लगी है। दूसरी ओर, आदिवासियों व ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। ग्रामीण स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले, इसके लिए झारखंड में कई संस्थाएं काम कर रही हैं।

पंचायत में बढ़ा है मनरेगा का काम

ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत मनरेगा ने सफलता की परचम लहरायी है। कई बाहर के महानगरों में नौकरी छोड़कर अपने घरों में मनरेगा में काम कर रहे हैं। इससे आदिवासियों को यह लाभ हो रहा है कि वह अपने घरों में ही नौकरी कर रहे हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव होने के बाद मनरेगा का सफल प्रयोग पंचायतों में दिखता नजर आता है। पंचायतों में मनरेगा से कई कामों को अंजाम दिया जा रहा है जो ग्रामीण आधारभूत संरचना की सच्चाई बयान करते हैं।

झारखंड सरकार की मनरेगा सेल द्वारा भी जगह–जगह कार्य का निरीक्षण कराया जाता है। कुछ पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2006–10 तक 39, 04, 756 परिवार निबंधित किए गए हैं। इन सभी लोगों को जॉबकार्ड उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक चार वित्तीय वर्षों में कुल 64.02 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए कुल 2872.66 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन कराया गया है।

पंचायत चुनाव होने के बाद सभी योजनाएं पंचायतों को दे दी गई हैं। संविधान की शक्तियां इन्ही पंचायतों में निहित हैं। अब जब पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं ली जा रही है निश्चित ही कहा जा सकता है कि पंचायतों द्वारा काम कराए जाने के कारण जहां पलायन रुकेगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को काम भी मिलेंगे। इससे लोग सशक्त व आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

मनरेगा ने कुंद की पलायन

मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने लोगों को जीने का फलसफ़ा सिखाया है। इस योजना के तहत वर्ष के 365 दिनों में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इस योजना के तहत झारखंड जैसे उग्रवाद प्रभावित राज्य में लोगों को स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता दिखती है। अब झारखंड में मनरेगा के तहत 100 दिनों के बदले 150 दिनों का रोजगार मजदूरों को दिया जाना है। मनरेगा के प्रारंभ होने से राज्य से गरीबी, भुखमरी व निर्धनता पर रोक लगी है। झारखंड के ज्यादातार लोग बाहर के शहरों में काम करने जाते हैं। झारखंड के सभी 24 जिलों में मनरेगा लागू है। राज्य के सभी जिलों में जरूरतमंद लोगों का जॉबकार्ड बनाया गया है। झारखंड में मनरेगा के तहत वन विभाग की भी कई योजनाओं को जोड़ा गया है। जैसे वृक्षारोपण व बाढ़ लगाना आदि। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे कामों जिनमें सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण व मरम्मतीकरण सहित कई कार्य मनरेगा के तहत कराये जा रहे हैं। अब किसी भी योजना के निर्गत होने के बाद प्रस्तावक व निविदाकर्ता को जॉबकार्ड दर्ज कराने वाले लोगों को इन योजनाओं के कार्यों में लगाया जाता है। ग्रामीण जनजागरुकता का ही प्रमाण है कि लोग इन सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं।

मनरेगा मजदूर करेंगे 150 दिन काम

राज्य में मनरेगा मजदूरों का सम्मान व उनकी जरुरतों को पूरा करते हुए झारखंड में मनरेगा मजदूर अब 100 दिन के बदले 150 दिनों तक काम करेंगे। यह निर्णय झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री ददई दुबे के लेने से मनरेगा मजदूरों में भी खुशी है। श्री दुबे कहते हैं कि राज्य के मजदूरों की भलाई के बारे में सोचना है। मजदूर बाहर के राज्यों में पलायन न करें, इसके लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मनरेगा के तहत

मजदूरों को सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए विभाग पूरी तरह कटिबद्ध है। साथ ही, मनरेगाकर्मियों को ईपीएफ की सुविधाएं दी जा रही हैं। पंचायती राज के तहत मिलने वाली शक्तियां विकेंद्रीकृत की जा रही हैं। हमारी सरकार में नौ विभागों को काम का वितरण किया गया है। इन सभी विभागों में कई काम हैं जो मजदूरों के लिए हैं।

आधारभूत संरचना के तहत जीवित है मनरेगा

पैक्स के स्टेट मैनेजर जॉनसन टोपनो कहते हैं कि मनरेगा के तहत ग्रामीण आधारभूत सरंचना जीवित है। झारखंड के आदिम जनजाति वाले जिलों में कई आधारभूत काम हो रहे हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना में मनरेगा ने अहम भूमिका निभायी है। मनरेगा के तहत लोगों को काम मिले, इसके लिए काम मांगों अभियान चलाया गया है। पैक्स 12 जिलों के 42 प्रखंड के कई नागर समाज सेवा संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। पैक्स की 2000 गांवों में 30 संस्थाएं काम कर रही हैं। 10 हजार छोटी कल्याणकारी संस्थाएं जुड़ी हैं जो मनरेगा मजदूरों की मदद कर रहा है। पैक्स के तहत काम मांगों अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लगभग एक लाख लोगों ने काम मांगे हैं।

दूसरी ओर, ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा गया है। ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत गांवों में अस्पताल व इलाज पर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड जैसे प्रदेश में जहां इलाज कराने के लिए ग्रामीणों के पास पैसे की दिक्कत होती है, वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कारगर भूमिका निभा रही है। अस्पतालों की दुरुस्त व्यवस्था व लोगों का बीमा करा कर इलाज कराना भी अहम है। ग्रामीण आधारभूत संरचना में अस्पतालों का भी ध्यान रखा गया है। देश की सिविल सोसाइटी और सरकार इस ओर एक नया कदम आगे बढ़ा रही है। देश के एकमात्र राज्य झारखंड में स्वयंसेवी संस्था पैक्स ने झारखंड मॉडल पेश किया है, जो आगे चलकर सफल व ऐतिहासिक हो सकता है। पैक्स ने राज्य सरकार की मदद से पश्चिम सिंहभूम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आरएसबीवाई मित्र का लांच किया है। यह मित्र लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में समझाएंगे। सिविल सोसाइटी पैक्स के सहयोग से ऐसा संभव होता दिख रहा है। पैक्स ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यानी आरएसवीवाई के तहत स्वास्थ्य मित्र का नामांकन किया है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और उनका बीमा योजना के लिए नामांकन कराएगा। आम लोगों तक योजना की पहुंच हो, इसके लिए मित्र का नामांकन किया गया है। ये मित्र पश्चिम सिंहभूम के दूरदराज और जंगली क्षेत्रों में व्यक्ति का नामांकन कराएगा।

पैक्स की प्रोग्राम मैनजर अनु कहती हैं कि हमारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो, इसके लिए हमने एक अनूठा प्रयास किया है। यह प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमारे द्वारा जो मित्र का चयन किया गया है, वह लोगों को योजना का लाभ पहुंचाएंगे। यह देश का अनूठा प्रयास है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसवीआई) से राज्य के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलेगा। हमें इसे गांवों तक पहुंचाना है। सिविल सोसाइटी के लोग इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिविल सोसाइटी और राज्य सरकार को तालमेल के तहत काम करने होंगे, जिससे आरएसवीआई हर मुहल्ले और हर टोलों में पहुंच सके। राज्य में मजदूर वर्ग इसका सबसे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। पश्चिम सिंहभूम जो सबसे ज्यादा आदिम जनजातियों वाला जिला है, इस जिले में हम अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हमने ऐसे जिले का चयन किया है, जहां सरकार की योजना का लाभ जनजातियों

को हो और हम इसका प्रचार–प्रसार भी कर रहे हैं। लोग आम आदमी तक पहुंच बनाएंगे। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा।

क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आम लोगों का बीमा कराया जाता है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे आम लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मात्र 30 रुपये में 30,000 रुपये तक का इलाज कराया जाता है। यह योजना ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में अहम कड़ी है।

केरल में स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) सफलता के कई परचम लहरा रही है। अनु कहती है कि देश में केरला मॉडयूल से भी ज्यादा अच्छा झारखंड में मॉडयूल को अपनाना है, जो एक रोल मॉडल हो सके। हम आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलकर और अच्छा काम करेंगे, इसमें सरकार के सहयोग की जरूरत है। सरकारी पदाधिकारी इसमें भरपूर सहयोग करें, तो यह आम आदमी तक पहुंच बना सकेगी। पैक्स की भूमिका इसमें सराहनीय है। पैक्स अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है जिससे योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा।

झारखंड जैसे प्रदेश में 27 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। ग्रामीण आधारभूत संरचना के मजबूत होने से इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलना है। राज्य के श्रम विभाग के प्रधान सचिव विष्णु कुमार कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीआई) एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत अगर लाभूक को 30 दिनों में भुगतान किया जाता है, यह राशि लाभूक को नहीं, बल्कि अस्पताल को दी जाती है। जहां मरीजों का इलाज किया जाता है।

आरएसबीवाई के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को बनाया जा रहा है सक्षम

ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत आरएसबीवाई को सक्षम और कारगर बनाने के लिए पंचायत–स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीमा के कार्ड के लिए सेविकाओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए उन्हें कुछ राशि दी जाती है। पंचायत–स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को चार रुपये प्रति कार्ड मिलते हैं। अस्पताल में सही तरीके से इलाज कराया जाना चाहिए। चिकित्सक अपनी सेवा ईमानदारी से पूरी करे। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इस योजना का धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आना होगा। पैक्स झारखंड इस योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

झारखंड में 209 अस्पताल हैं और 205 प्राइवेट अस्पताल हैं। साथ ही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10 बेड होने चाहिए। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा गठित की गई है, जो झारखंड के सात जिलों में काम कर रही है। झारखंड में पैक्स आरएसबीवाई को देख रही है। पैक्स जैसी संस्था 93 प्रखंडों में काम कर रही है। आरएसबीवाई को मजबूत बनाने के लिए 18 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम व साहेबगंज में 300 मित्रों का पंजीकरण किया गया है, जोकि इन जिलों में काम करेंगे। गांवों में जागरुकता फैलायी जाएगी।

नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के क्षेत्रीय निदेशक टुलुल हेंब्रम कहते हैं कि सरकारी विभागों के ज्यादा अधिकारी इसमें भाग लें, तो ग्रामीण आधारभूत संरचना और भी विकसित हो सकती है। इस योजना में सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी भाग लें। अधिकारी ज्यादा से ज्यादा आरएसबीवाई योजना का क्रियान्वयन कराएं।

समाजसेवी और पंचायती विशेषज्ञ विष्णु राजगढ़िया कहते हैं कि योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए योजना की जानकारी होना जरूरी है। सरकार की कई योजनाओं की आम लोगों तक पहुंच ही नहीं है। लोगों के पास जागरुकता का अभाव है। अगर अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी हो, तो सरकार की हर योजना का लाभ मिल पाएगा। सिविल सोसाइटी ने इसमें नई आशा जगायी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को भी इसमें आगे आना होगा। तब ही इसका लाभ आम लोगों तक पहुंच सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

भारत निर्माण योजना की भूमिका

डॉ. कल्पना द्विवेदी

केन्द्र सरकार ने गांवों के बुनियादी ढांचे को बनाकर उन्हें हर तरीके से उन्नत बनाने के लिए "भारत निर्माण" के नाम से 2005 में एक विशाल, दीर्घकालीन और व्यावहारिक योजना चलाई। यह योजना इस दृष्टिकोण से पहले की योजनाओं से थोड़ा भिन्न है कि इसमें गांवों के किसी एक क्षेत्र के विकास की बात न कहकर उसके सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास की बात की गई है और यदि कोई क्षेत्र "भारत निर्माण योजना" से छूट भी गया हो तो उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों मे रख दिया गया है ताकि गांवों का सम्पूर्ण विकास हो सके। भारत निर्माण कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें गांवों को सहायता देकर आगे बढ़ाने के बजाए उनके लिए ऐसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने की कोशिश की गई है कि वे उस नींव पर स्वयं का विकास कर सके।

भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे में कार्यवाही के लिए एक समयबद्ध विकास की योजना है। भारत निर्माण के अन्तर्गत कार्यवाही सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रस्तावित है।

इस दिशा में कारगर पहल करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्र बायोगैस कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल योजना, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आदि का संचालन स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क से वंचित सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने गांवों के बुनियादी ढांचे को बनाकर उन्हें हर तरीके से उन्नत बनाने के लिए "भारत निर्माण" के नाम से 2005 में एक विशाल, दीर्घकालीन और व्यावहारिक योजना चलाई। यह योजना इस दृष्टिकोण से पहले की योजनाओं से थोड़ा भिन्न है कि इसमें गांवों के किसी एक क्षेत्र के विकास की बात न कहकर उसके सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास की बात की गई है और यदि कोई क्षेत्र "भारत निर्माण योजना" से छूट भी गया हो तो उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों मे रख दिया गया है ताकि गांवों का सम्पूर्ण विकास हो सके।

भारत निर्माण कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें गांवों को सहायता देकर आगे बढ़ाने के बजाए उनके लिए ऐसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने की कोशिश की गई है कि वे उस नींव पर स्वयं का विकास कर सकें। यह योजना एक प्रकार से गांवों को बैसाखियां न देकर उन्हें अपने ही पैरों पर मजबूती से खड़े होने लायक बनाती है।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्माण योजना को दो चरणों में लागू किया गया है। इसका प्रथम चरण (2005–2009) तक था तथा द्वितीय चरण (2009–2014) तक है।

प्रथम चरण 2005–2009

विद्युतीकरण – विद्युत पहुंच से दूर शेष बचे 1,25,000 गांवों को 2009 तक आच्छादित करना तथा साथ ही साथ 2.3 करोड़ परिवारों को कनेक्शन प्रदान करना।

सड़कें – 1000 से अधिक जनसंख्या (पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह सीमा 500) वाली सभी अगम्य बसावटों को सभी मौसमों में सम्पर्क मार्ग प्रदान करना।

जल आपूर्ति – प्रत्येक बसावटों को शुद्ध पेयजल के स्रोत मुहैया कराना तथा इस संदर्भ में 55,067 अनाच्छादित बसावटों को 2009 तक आच्छादित किया गया।

दूरसंचार – प्रत्येक गांव को टेलीफोन से जोड़ना तथा शेष बचे 66822 गांवों को नवम्बर 2007 तक आच्छादित करना।

सिंचाई – 2009 तक 10 मिलियन हेक्टेयर (100 लाख) की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना।

आवास – 2009 तक ग्रामीण निर्धनों के लिए 60 लाख आवासों का निर्माण करना।

भारत निर्माण योजना के द्वितीय चरण (2009–2014) के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं–

विद्युतीकरण – सभी गांवों में विद्युत सुनिश्चित करना तथा 1.75 करोड़ गरीब परिवारों को 2012 तक कनेक्शन प्रदान करना।

सड़कें – 1000 से अधिक जनसंख्या (पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह सीमा 500) वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से 2012 तक जोड़ना।

जल आपूर्ति – प्रत्येक आच्छादित बसावट को 2012 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

दूरसंचार – 2014 तक 40 प्रतिशत ग्रामीण टेली घनत्व का लक्ष्य प्राप्त करना तथा 2012 तक सभी 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित कराना और पंचायत स्तर पर भारत निर्माण सेवा केन्द्र स्थापित करना।

सिंचाई – एक करोड़ हेक्टेयर (10 लाख) अतिरिक्त भूमि की सिंचाई 2012 तक सुनिश्चित करना।

आवास – ग्रामीण निर्धनों के लिए अतिरिक्त 60 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्यों को 2009 तक प्राप्त कर लेने के बाद 2014 तक 1.2 करोड़ आवासों के निर्माण का नया लक्ष्य अंगीकृत किया गया है।

अगर ग्रामीण विद्युतीकरण के महत्व को देखा जाए तो किसी देश ने कितनी प्रगति की है, यह जानने की एक कसौटी यह है कि उस देश के कितने गांवों तक बिजली पहुंची है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि देश के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण किया जाए। उल्लेखनीय है कि उद्योग, कृषि, सिंचाई, सूचना एवं संचार, रात्रि का प्रकाश, तकनीकी विकास, घर, दुकान, बाजार आदि सभी वांछित कार्यों में विद्युत का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विडंबना है कि आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी करीब 25 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण नही हो सका है।

इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखकर "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" को भारत निर्माण का अंग बना दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2011–12 में 7934 गांवों का विद्युतीकरण और 34.44 लाख बीपीएल परिवारों को कनेक्शन मुहैया कराया जा चुका है।

सड़कें किसी देश के विकास में जीवनरेखा का काम करती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2012 तक 4.41 लाख किमी. लम्बी सड़कों हेतु स्वीकृति दी गई है। अगर देश के देहाती इलाकों को पक्की सड़क के द्वारा शहरों से जोड़ दिया जाए तो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार देश के जिन देहाती इलाकों का सम्पर्क पक्की सड़कों से है उन इलाकों के घरों में सन् 2000 से 2009 के बीच आमदनी से 50 से 1000 तक और साक्षरता में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और लड़कियों को शिक्षा मिलना आसान हुआ।

जल हमारे जीवन में आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य प्राकृतिक तत्व है। ग्रामीण भारत के विकास में पेयजल की आपूर्ति इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं–कहीं तो पानी की विकट समस्या बनी हुई है और कहीं पर पेयजल की अशुद्धता के कारण ग्रामीण लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए केवल स्वच्छ जल की आपूर्ति ही नहीं हो बल्कि गुणवत्ता के मानकों पर भी खरा उतरे। यही कारण है कि भारत निर्माण कार्यक्रम में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को एक घटक के रूप में शामिल किया जाए।

भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत गांवों में दूरसंचार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि गत वर्षों से कृषि क्षेत्र में दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि उपज बढ़ाने, फसल को रोगमुक्त रखने, मिट्टी परीक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, उन्नत तकनीक व बीजों के उपयोग आदि के सम्बन्ध में किया जा रहा है। दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत के लिए काफी उपयोगी व लाभप्रद है।

भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि हेतु सिंचाई सुविधा का होना अत्यधिक आवश्यक है परन्तु लम्बे समय से देश की कृषि योग्य भूमि का 60 प्रतिशत भाग असिंचित या वर्षा पर निर्भर रहा है। सिंचाई के अभाव में कई वर्षों से 1960 के दशक से आई हरित क्रान्ति की गति लगभग थम–सी गई है। जबकि दूसरी हरित क्रान्ति का सपना देखा जा रहा है और 2015 तक खाद्यान्न उत्पादन को 31 करोड़ टन से 42 करोड़ टन अर्थात् दुगुना करने पर जोर दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भारत निर्माण के तहत लगातार दो से अधिक चरणों में कुल 107 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक 5000 करोड़ रुपये अनुमानतः विशेष जल प्रबन्धन हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

आवास व्यक्ति की भोजन और वस्त्र के बाद तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। आवास से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का निर्धारण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास की स्थिति ज्यादा विकट है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अधिकांश आबादी गांवों में ही निवास करती है। इंदिरा आवास योजना (1985–86) को भारत निर्माण का एक हिस्सा बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत 2005–06 से 2008–09 के दौरान 60 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले 71.76 लाख घरों का निर्माण किया गया। भारत निर्माण के दूसरे चरण के अन्तर्गत 1.20 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। निस्संदेह इन प्रयासों से ग्रामीण भारत के निर्धनों को आवास का सपना साकार हो सकेगा और उनकी रोटी, कपड़ों के साथ–साथ तीसरी बुनियादी आवश्यकता आवास की पूर्ति हो सकेगी।

सर्वविदित तथ्य है कि अत्यंत विकसित देश भी अपने गांवों का विकास तीव्र गति से करके ही विकसित देशों की कतार में पंक्तिबद्ध हो पाए हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ग्रामीण विकास हेतु संचालित भारत निर्माण कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए।

कहना न होगा कि भारत निर्माण योजना ग्रामीण विकास में बेहद मददगार सिद्ध हो रही है जिसके माध्यम से आज गांवों से पलायन रुका है और गांवों में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ी हैं; उनकी आय तथा रहन–सहन का स्तर बढ़ा है।

अब यह ध्यान रखना होगा कि भारत निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की व्यूहरचना ऐसी होनी चाहिए जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत करने, उनके जीवन–स्तर में सुधार लाने तथा उनके विकास को आत्मयोजित बनाने से सम्बन्धित हो।

(लेखिका सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र) के पद पर कार्यरत हैं एवं गैर–सरकारी संगठन अवेकनिंग सोसाइटी (भारत) की सक्रिय सदस्या हैं)

ई–मेल : drkalpanadwivedi@gmail.com

Career Launcher News www.careerlauncher.com/civils

CAREER LAUNCHER

सिविल सेवा अभ्यर्थी

Test Series Notice No. 00/2014 - 15 February 2014

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2014

13* बार आयोजित की जाएगी

यदि आप CL की टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सच है। CL से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हूबहू प्रारंभिक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त करने के 12 अवसर प्राप्त होंगे जबकि अन्य संस्थान यह अवसर मात्र 2 या 3 बार प्रदान करते हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ से आप के लिए प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत सरल हो जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप 13वाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ के अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:

	UPSC	CL	अन्य
1. संपूर्ण भारत में आयोजन	✓	✓	✗
2. 10,000 से अधिक अभ्यर्थी	✓	✓	✗
3. सामान्य अध्ययन I & II एक ही दिन	✓	✓	✗
4. हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में प्रश्न पत्र	✓	✓	✗
5. ओएमआर शीट	✓	✓	✗
6. स्कूलों में परीक्षा	✓	✓	✗
7. ऑल इंडिया रैंक	✗	✓	✗
8. टेस्ट परिचर्चा	✗	✓	✗
9. पर्सनल फीडबैक	✗	✓	✗
10. टेस्ट के तुरंत बाद प्रश्न पत्र का हल	✗	✓	✓

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में CL के अभ्यर्थियों की सफलता की दर 6# गुना अधिक है

30.07%
CL के अभ्यर्थियों की सफलता की दर

4.7%
अन्य अभ्यर्थियों की सफलता की औसत दर

23 मार्च 2014 से टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ

प्रधान परीक्षा 2012 एवं प्रारंभिक परीक्षा 2013 में सफल अभ्यर्थियों के लिए विशेष ऑफर

CL के 742 अभ्यर्थी सिविल सेवा प्रधान परीक्षा, 2013 के लिए योग्य पाये गये

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

कक्षाओं के लिए नए बैच शीघ्र प्रारंभ, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निकटतम् CL सेंटर पर संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सामने, फोन - 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17
साउथ कैम्पस: 283, प्रथम तल, वेंकटेश्वरा कॉलेज के सामने, सत्या निकेतन, फोन - 24103121/39

अहमदाबाद: 2656061 | इलाहाबाद: (0)9956130010 | बंगलुरू: 41505590 | भोपाल: 4093447 | भुवनेश्वर: 2542322 | चंडीगढ़: 4000666 | चेन्नई: 28154725
हैदराबाद: 66254100 | इन्दौर: 4244300 | जयपुर: 4054623 | लखनऊ: 4108009 | नागपुर: 6464666 | पटना: 2678155 | पुणे: 32502168

*CL के 12 मॉक टेस्ट + 1 UPSC की असली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

हमारे पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी

12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत के सुदूरतम ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय व विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने हेतु की गई थी। पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 8 लाख 90 हजार आशा कार्यकर्ता हैं जोकि आज देश के प्रत्येक गांव में विद्यमान हैं अर्थात् प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता अपनी सेवा प्रदान करती है। इस मिशन को पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है जिसमें 18 राज्यों (कम निष्पादन वाले राज्य) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, जवाबदेह, प्रभावी व विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है।

भारत एक ग्राम बाहुल्य व कृषि आधारित विकासशील देश है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की कुल जनसंख्या की 68.80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है, जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 6 लाख 40 हजार 867 गांव हैं, जहां आज भी जीवन की आधारभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण भारत का विकास समावेशी व समतापूर्व विकास के लिए और आबादी की विशाल क्षमता का उपयोग करने के लिए, जो इस समय गरीबी और अपनी सम्बद्ध वंचनाओं से घिरी है, अनिवार्य है। भारतीय राज्यों के बीच निर्धनता के भार के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी सामाजिक अवस्थापना के अभाव के साथ निकटतः जुड़ी है। इसलिए अवस्थापना की व्यवस्था करना विकास के लिए अनिवार्य तत्व है। फलतः बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के प्रथम वर्ष के दृष्टिकोण–पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा निरंतर रूप से विकास किया जा रहा है। योजना के दृष्टिकोण–पत्र में तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी विकास के लिए एक आयामी नीति का प्रस्ताव किया गया है जोकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए नितांत आवश्यक है।

12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत के सुदूरतम ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय व विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य

सेवाएं मुहैया कराने हेतु की गई थी। पूरे भारतवर्ष में गांव–गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 8 लाख 90 हजार आशा कार्यकर्ता हैं, जोकि आज देश के प्रत्येक गांव में विद्यमान हैं अर्थात् प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता अपनी सेवा प्रदान करती है, जैसेकि संस्थागत प्रसव एवं गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच या जच्चा व बच्चा टीकाकरण तथा सुरक्षा के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करना आदि।

इस मिशन को पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है जिसमें 18 राज्यों (कम निष्पादन वाले राज्य) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें 8 अधिकार प्राप्त कार्यवाही समूह वाले राज्य (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा व राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड, सिक्किम सहित) तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग़रीब और कमज़ोर वर्गों को सुलभ, जवाबदेह, प्रभावी व विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विशेष रूप से मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) संवर्ग का सृजन, समुन्नत अस्पताल परिचर्या के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की कमी को पूरा करना तथा आंतरिक और अंतरक्षेत्रीय अभिमुखीकरण को सुधारने व संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए जिला–स्तर पर कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण करना भी है।

विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के विभागों के बीच अधिक अभिमुखीकरण लाने के उद्देश्य से अच्छे स्वास्थ्य के बुनियादी निर्धारकों के रूप में स्वच्छता व सफाई, पोषाहार तथा शुद्ध पेयजल पर उचित ध्यान देने हेतु व्यापक दृष्टिकोण के लिए उपरोक्त विषयों पर भी ध्यान देना। इस मिशन का एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला व उप–जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य हितधारकों की भागीदारी के जरिए समाज में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम की स्वीकार्यता को और अधिक बढ़ाना है। मिशन के लक्ष्यों में शिशु मृत्युदर में 30 प्रति हजार जीवित जन्म से नीचे तक कमी, मातृ मृत्युदर के 100 प्रति लाख जीवित जन्मों से नीचे आने व कुल प्रजनन दर को वर्ष 2012 तक 2.1 पर लाना शामिल था। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण व सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाना है जोकि अथक प्रयास से मिशन के उद्देश्य व लक्ष्य की ओर सकारात्मक रूप से अग्रसर है।

जननी सुरक्षा योजना की पहल

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना पूरे भारतवर्ष में शत–प्रतिशत लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत प्रसव तथा प्रसव के उपरांत देखभाल के साथ नकद सहायता भी दी जाती है। यह योजना उन राज्यों तथा क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई थी जहां इनकी मांग बहुत कम है। इसका लक्ष्य मातृ मृत्युदर को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्रसव के समय कुशल प्रसव परिचारकों द्वारा ही कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आशा को, जोकि एक मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, सरकार व अल्प निष्पादनकारी राज्यों की निर्धन गभर्वती महिलाओं के बीच एक कारगर कडी के रूप में प्रस्तुत करना है। अन्य पात्र राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा जैसे कार्यकताओं को इस कार्य पर लगाया गया है, उन्हें सेवाएं मुहैया कराने हेतु इस योजना से संबद्ध किया जाता रहा है।

● संस्थागत प्रसव होने की स्थिति में माताओं को दी जाने वाली नकद सहायता राशि निम्नानुसार है :–

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	माता का पैकेज	आशा का पैकेज	माता का पैकेज	आशा का पैकेज
कम निष्पादन वाले राज्य	1400 रु.	600 रु.	1000 रु.	200 रु.
अधिक निष्पादन वाले राज्य	700 रु.	200 रु.	600 रु.	200 रु.

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली के आधारभूत ढांचे में गुणात्मक सुधार

भारत में मार्च 2011 तक 1,48,124 उप–स्वास्थ्य केन्द्र, 23,887 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 4809 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध थे। इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम संदर्भ इकाई) में एक–एक सर्जन, फिजिशियन, गायनोक्लोजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेसथीसिया विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, दन्त विशेषज्ञ व आयुष विशेषज्ञ तथा 6 सामान्य चिकित्सा अधिकारी व 19 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी जिससे गांव के लोगों को विशेष चिकित्सा का भी पूर्ण लाभ मिल सके। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस, टेलीफोन, टोल फ्री हेल्पलाईन नं. 108, जननी एक्सप्रेस, आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा सप्ताह में (24x7) उपलब्ध रहती है। अतः इस मिशन में स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सारी योजनाएं जिला स्तर पर बनाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य के साथ–साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए आयामों, यथा – पीने योग्य पानी, पोषण, महिला जागरुकता एवं सशक्तिकरण व स्वच्छता इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इन आयामों को एक–दूसरे से जोड़ा भी गया है।

जनसंख्या संबंधी स्वास्थ्य मानक

केन्द्र	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम चल रहे हैं:

- सामुदायिक प्रजनन शिशु स्वास्थ्य
- राष्ट्रीय कीटजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मोतियाबिंद और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय एकीकृत रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम
- जननी सुरक्षा योजना

यह एक मान्य तथ्य है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार राष्ट्र के धारणीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बुनियाद है। देश में लोगों का स्वास्थ्य–स्तर व मानसिक कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे कितनी ही आर्थिक–सामाजिक विविधता क्यों न हो। स्वास्थ्य की बेहतरीन पहुंच व उसका सदुपयोग, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं विकास कार्यनीति के प्रमुख तत्व हैं, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विकास के माध्यम से बंधित किया जा रहा है। फलतः स्वस्थ भारत का सपना आने वाले समय में साकार हो सकेगा, ऐसी आशा व उम्मीदें हैं।

(संकाय सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इन्दौर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
ई–मेल : krishna.nipccd@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना विकास

मनोज श्रीवास्तव

केंद्र सरकार मैदानी इलाके के साथ ही पूर्वात्तर के दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके पर भी खासतौर से ध्यान दे रही है। यूपीए के कार्यकाल में पूर्वात्तर में तमाम नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसका असर पूर्वात्तर के राज्यों में साफतौर पर दिखाई पड़ रहा है। कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण प्रभावित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों और संचार सुविधाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। सड़कों के विकास को प्राथमिकता के रूप में लिया गया है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ ही राज्य सरकारों की ओर से भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर का क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी विषम है। इस वजह से यहां अभी तक माकूल इंतजाम नहीं हो पाए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहने की वजह से विकास को गति भी नहीं मिल पाई, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इस इलाके पर सरकार का खास ध्यान होने की वजह से विकास को गति मिली है। वास्तव में पूर्वोत्तर के क्षेत्र को सात बहनों के देश के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से कुछ भिन्न है। भाषा की दृष्टि से यह क्षेत्र तिब्बती–बर्मी भाषाओं के अधिक प्रचलन के कारण अलग से पहचाना जाता है। इन आठ राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1971 में पूर्वोतर परिषद (नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल) का गठन एक केन्द्रीय संस्था के रूप में किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न डेवेलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन 9 अगस्त, 1995 को

किया गया था, जबकि उत्तरपूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय का गठन सितंबर 2001 में किया गया। विकास के तमाम प्रयास के बाद भी यह इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों को विकसित करने के लिए यूपीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पूर्वोत्तर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आम आदमी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों का कायाकल्प करने के लिए परिवहन सब्सिडी भाड़ा योजना की अधिसूचना जारी की। इसके तहत परिवहन सब्सिडी योजना 1971 में संशोधन किया गया और जनवरी 2013 में भाड़ा सब्सिडी योजना की अधिसूचना जारी की गई।

इसी तरह यूपीए सरकार ने इस पिछले इलाके को बराबरी का दर्जा देने के लिए बजट में भी समय–समय पर खास प्रावधान किए। बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास को बढ़ाने के लिए आवंटन राशि लगभग दुगुना की गई। इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को 35 प्रतिशत बढ़ाया गया। सरकार ने मंत्रियों का एक सशक्तिकरण समूह गठित किया है। यह समूह परियोजनाओं की समीक्षा करता है और उन पर अमल जल्दी कराने के लिए काम करता है। इसी तरह के अन्य प्रावधान भी पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किए गए हैं, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास को गति मिली है।

आधारभूत संरचना विकास

यूपीए सरकार ने पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना विकास पर खास ध्यान दिया है। इसी के तहत 908.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 81 आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं नान लैपसेबल पूल आफ रिर्सोसेज (एनएलसीपीआर) योजनाओं के तहत मंजूर की गई हैं। इसके लिए 775 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह 471 करोड़ रुपये की 55 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एनएलसीपीआर केंद्रीय योजना वित्तवर्ष 2012–13 से शुरू हुई है। इसके तहत मिजोरम में 60 मेगावाट की तुइरयाल पनबिजली परियोजना के लिए 35.97 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने खेती और इससे जुड़े क्षेत्रों में 31 परियोजनाओं के साथ ही बिजली क्षेत्र में आठ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी तरह एनईसी की ओर से उद्योग के लिए नौ परियोजनाएं एवं पर्यटन क्षेत्र की 11 परियोजनाओं एवं विज्ञान एवं टेक्नोलाजी से जुड़ी 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं एनईसी ने 237 किलोमीटर सड़क निर्माण, बिजली क्षेत्र की 11 परियोजनाओं और खेती एवं उससे संबंधित क्षेत्र की छह परियोजनाओं को पूरा किया है। एनईसी ने भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के सहयोग से उत्तर–पूर्व क्षेत्र में पांच हवाई अड्डों की आधार संरचना विकास की दिशा में भी काम किया है। यह हवाई अड्डे गुवाहाटी, डिबरूगढ़, जोरहाट, इम्फाल, शिलांग में विकसित किए जा रहे हैं।

शांति व्यवस्था कायम

वर्ष 2012–13 में पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। असम में दीमा हसाओ के दीमा हलम दाओह में विभिन्न गुटों के साथ समझौता किया गया। तीन मैत्री विद्रोह समूह से बने यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट और कांगलेईपक यवल कन्ना लूप के घटों के साथ समझौते किए गए। इसका नतीजा रहा कि इन संगठनों ने हथियार सौंपकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। नगा शांति वार्ता जारी है।

हैं। त्रिपुरा में प्राप्त गैस से चलने वाली ताप बिजली परियोजना, त्रिपुरा (101 मेगावाट) और अगरतला गैस टर्बाइन कम्बाइंड साइकिल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, त्रिपुरा (51 मेगावाट) मई से दिसंबर 2014 तक पूरा हो जाएगा। नीपको ने 18 पनबिजली घरों की पीएफआर तैयार की है और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रधानमंत्री के 50 हजार मेगावाट पनबिजली क्षमता तैयार करने के उपायों के अंतर्गत ये परियोजनाएं तैयार की गई हैं। नीपको ने मेघालय सरकार को पनबिजली परियोजनाओं की पीएफआर तैयार करने में परामर्श देने की इच्छा भी जाहिर की है। निश्चित रूप से इन परियोजनाओं के जरिए समूचे पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा है।

नीपको फैला रहा पूर्वोत्तर में उजाला

नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) के जरिए पूर्वोत्तर में उजाला फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इसके जरिए पनबिजली क्षेत्र में 755 मेगावॉट और तापविद्युत (गैस आधारित) में 375 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसमें असम की कोपिली जलविद्युत परियोजना (150 मेगावाट), असम में कोपिली बिजलीघर, स्टेज 1 विस्तार (100 मेगावाट), असम में कोपिली बिजलीघर, स्टेज 2 विस्तार (25 मेगावाट), नागालैंड में दोयांड जलविद्युत संयंत्र (75 मेगावाट) और अरुणाचल प्रदेश में रंगानदी जलविद्युत संयंत्र (405 मेगावाट) शामिल हैं। अब नीपको 375 मेगावाट बिजली असम में मिलने वाली गैस से तैयार कर रहा है। असम (201 मेगावाट) और अगरतला गैस टर्बाइन प्लांट त्रिपुरा (84 मेगावाट), बिजली इसमें शामिल है। नीपको ने आने वाले वर्षों में कई जलविद्युत परियोजनाओं को जोड़ने की योजना बनाई है जिनमें अरुणाचल प्रदेश में महत्वाकांक्षी 3750 मेगावाट क्षमता वाली सियांग अपर स्टेज –2 एचईपी शामिल है। दो अन्य परियोजनाएं यथा सियांग अपर स्टेज 6000 मेगावाट और कुरुंग एईपी (330 मेगावाट) की योजना है। नीपको ने कुछ ऐसी परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं में कामेंग पनबिजली परियोजना, अरुणाचल प्रदेश (600 मेगावाट), पारे पनबिजली परियोजना, अरुणाचल प्रदेश (110 मेगावाट) और तिउरियाल पनबिजली परियोजना, मिजोरम (60 मेगावाट) शामिल

मनरेगा ने बदली तस्वीर

मनरेगा मैदानी इलाके के साथ ही पूर्वोत्तर के दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। पूर्वोत्तर के तमाम गांवों में मनरेगा की बदौलत विकास की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर सिक्किम के दक्षिणी जिले की ग्राम पंचायतों की स्थिति देखी जा सकती है। इस ग्राम पंचायत में मनरेगा लागू होने के बाद स्थितियां एकदम बदल गई हैं। मनरेगा धारा विकास स्प्रिंग शेड डेवलेपमेंट से यहां काफी सफलता मिली है। अब तक यहां पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 250 लाख रुपये की लागत से 400 हेक्टेयर भूमि पर काम किया गया है, जिससे भूजल में 900 मिलियन लीटर का योगदान हुआ है। इससे बार–बार सूखे से प्रभावित हो रही 20 ग्राम पंचायतों में 50 धाराओं और 4 झीलों को पुनर्जीवित किया जा सका है। इसी तरह पश्चिमी जिले की बारफंग–जैरॉग ग्राम पंचायत में देथॉग झील को भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्जीवित किया जा सका। इससे स्पष्ट है कि मनरेगा के जरिए पूर्वोत्तर के विकास को गति मिली है। सूखे का सामना करने वाले किसानों एवं आम ग्रामीणों को पानी की भरपूर मात्रा मिल सकी है और वे अब आसानी से अपनी खेतीबाड़ी का कार्य भी निबटा रहे हैं।

युवाओं को मिला रोजगार

पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बड़ी समस्या रही है युवाओं के रोजगार और उनकी शक्ति का सही दिशा में सदुपयोग न हो पाना। युवा शक्ति का सदुपयोग न होने की वजह से इन राज्यों में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। चूंकि युवा शक्ति में भटकाव आया और इस भटकाव का फायदा उठाया विभिन्न संगठनों ने। राजनीतिक और हक की लड़ाई में युवाओं को मोहरा बनाया गया जो आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस चुनौती को स्वीकारते हुए सरकार ने युवा शक्ति को एकजुट करने के लिए विभिन्न अभियान शुरू किए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रयास से राज्य की युवा शक्ति को रास्ते दिखने लगे हैं। केंद्र सरकार एवं स्थानीय राज्य सरकारों की ओर से की पहल का नतीजा अब दिखने लगा है। सरकार युवाओं को स्वयंसेवा और सामुदायिक सेवा के लिए प्रोत्साहित करने में लगी है। युवाओं को विभिन्न योजनाओं के लिए स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर–पूर्व में 15 से 35 वर्ष के बीच की आयु के युवाओं की औसत जनसंख्या 43 प्रतिशत है और लाभप्रद सार्थक रोजगार जैसे उपायों से उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की कोशिशें तेज चल रही हैं। अगर हम राज्यवार आंकड़ा देखें तो उत्तर–पूर्व के राज्यों में नगालैंड में युवाओं की आबादी करीब 45 .68 फीसदी है। नगालैंड के बाद दूसरा स्थान सिक्किम का है जहां युवाओं की संख्या 45.20 प्रतिशत है । उसके बाद मणिपुर में 44.38 प्रतिशत, मिजोरम में 43.99 प्रतिशत, त्रिपुरा में 43.58 प्रतिशत, असम में 42.58 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 41.3 प्रतिशत और मेघालय में 40.90 प्रतिशत युवाओं की आबादी है। केंद्र एवं राज्य सरकार विभिन्न सरकार पोषित संगठनों के जरिए युवा शक्ति को सही दिशा देने की कोशिश कर रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से नेहरू युवा केंद्र के जरिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 86 जिलों में से 59 जिलों में जिला युवा समन्वयकों के रूप में राष्ट्रीय युवा कोर के 1027 स्वयंसेवकों और 10475 सक्रिय युवा क्लबों का गठन किया गया है। केंद्र की ओर से विकास संबंधी प्रमुख लक्ष्य कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए युवाओं की मानवीय संसाधन क्षमता को सुदृढ़ बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम चल तो पूरे देश में रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एनएसएस के जरिए युवाओं को राष्ट्रीय एकता शिविरों में प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ ही व्यक्तित्व विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रबंधकीय कौशल विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उद्यमिता के लिए प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के लिए कार्यक्रम को प्रायोजित किया है। यह कार्यक्रम शिलांग स्थित राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए अपने केंद्र के जरिए किया जाएगा। इसके तहत 60 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें उद्यमियों की नई पीढ़ी में प्रबंधकीय कौशल विकसित करने से संबंधित पाठ्यक्रम होगा। इसी तरह भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त क्षेत्र के युवाओं के लिए जरूरी स्थानीय पाठ्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रायोजित करेगा।

पूर्वोत्तर में परिवहन विकास

किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों की बहुत ही महत्वूपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर में सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। एनएलसीपीआर निधि की स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत भाग अरुणाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों के विकास पर खर्च किया गया है। इससे अरुणाचल प्रदेश का संपर्क बाकी देश के साथ जोडने में मदद मिलेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में 8 राज्यों– असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा में सड़कों के विकास के लिए 49236 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वर्ष 2010–11 में पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत 9160 करोड़ रुपये से बनने वाली 1615 किमी. लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम के तहत किए गए कुल व्यय की राशि लगभग 1667 करोड़ रुपये है और मार्च 2011 तक लगभग 146 किमी. लंबी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया था।

पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

पूर्वोत्तर के राज्यों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भूमिका महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर, 2000 को शुरू हुई इस योजना में जहां मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक की आबादी वाले गांव चुने जाते हैं वहीं पर्वतीय राज्यों, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 और उससे अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को जोड़ा जा रहा है। मौजूदा ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली ग्रामीण सड़कों के 40 प्रतिशत नवीकरण सहित) 1.94 लाख किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य के साथ उन्नयन का घटक भी शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्वतीय राज्यों में 10 किलोमीटर की दूरी वाली सभी बस्तियों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ब्लॉक के लिए छूट दी गई है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर के ज्यादातर गांव अब संपर्क सड़कों से जुड़ गए हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न मदों में सड़कों का निर्माण तो हुआ ही, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7896 बस्तियों तक संपर्कता उपलब्ध कराई गई। बाकी सभी बस्तियों को इससे जोड़ने की दिशा में कार्य चल रहा है।

पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क सुधार

एनईसी ने 10वीं योजना के दौरान विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में 10 हवाई अड्डों के सुधार निर्माण की योजना बनाई थी। इसमें गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, जोरहाट, डिबरूगढ़, दीमापुर, सिल्चर, तेजपुर, इम्फाल, अगरतला और अमरोई में सुधार का काम शुरू किया है। आइजॉल में लेंगपुई हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग प्रणाली के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर परिषद ने अब तक हवाई अड्डे के आधारभूत विकास के लिए 19.42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

पूर्वोत्तर में रेल सुधार

रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को जोड़ने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं को काफी गति मिली है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर हरमूति परियोजना मार्च 2012 में पूरी होने का लक्ष्य है। मणिपुर में जिरीबाम–तुपूल और तुपूल–इम्फाल परियोजनाएं मार्च 2014 और मार्च 2016 में पूरी होने का लक्ष्य है। मेघालय में आजरा–बिरनीहाट और बिरनीहाट– शिलांग परियोजना मार्च 2014 और मार्च 2017 में पूरा होने का लक्ष्य है। मिजोरम की आइजोल बहराबी–सायरंग परियोजना मार्च 2015 में, नागालैंड की दीमापुर– ज़ुबज़ा परियोजना मार्च 2015 में सिक्किम की सीवोक रांगपुर परियोजना दिसंबर 2015 में पूरी किए जाने का लक्ष्य है, जबकि त्रिपुरा की अगरतला परियोजना पूरी हो चुकी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : manojshrivastav591 @yahoo.in

गांवों में आधारभूत विकास का अवलोकन

कुमार राकेश

ग्रामीण आधारभूत संरचना में हमें ग्रामीण विकास से जुड़े कई मसलों के बारे में देश के कोने-कोने से संतोषजनक परिणाम देखने को मिले हैं और मिल रहे हैं। पिछले दस सालों में सभी क्षेत्रों में काफी गति से काम होने की खबर है। वैसे हर क्षेत्र में विकास तो दिख रहा है और जिस उत्साह और परिणाम की अपेक्षा थी, वो देखने को नहीं मिल रहा है। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने की एक मुख्य वजह समन्वय का अभाव बताया जा रहा है। हालांकि तमाम मसलों के बावजूद देश के गांवों में आधारभूत संरचना के तहत बेहतर कार्य हुए हैं जो दिख भी रहे हैं।

आज हम देखे तो पाते हैं कि गांव में तुलनात्मक तौर पर ज्यादा विकास हुआ है। खासकर आधारभूत संरचना के परिपेक्ष्य में सबसे पहले 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नक्शेकदम पर चलते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट पहले की तुलना में दुगुने से ज्यादा किया था। पूरे आम बजट में ग्रामीण विकास का नम्बर रक्षा और रेल के बाद तीसरे नम्बर पर था। इसके पीछे नरसिंहराव की सोच पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोच से काफी मिलती-जुलती थी।

गौरतलब है कि राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे शक्तिशाली व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, जिनमें वे एक हद तक सफल भी रहे। महिलाओं को पंचायतों में तवज्जो देकर पूर्ण सशक्त बनाने की दिशा में राजीव गांधी का योगदान ऐतिहासिक कहा जा सकता है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना के क्रम में हमें ग्रामीण विकास से जुड़े कई मसलों के बारे में देश के कोने–कोने से संतोषजनक परिणाम देखने को मिले हैं और मिल रहे हैं।

सबसे पहले 2003–04 में "इंडिया शाइनिंग" के नारे के तहत तत्कालीन एनडीए सरकार ने गांवों को मजबूत करने की प्रक्रिया पर अपना ध्यान फोकस किया था। बाद में कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन की सप्रंग सरकार ने 'भारत निर्माण' के नाम से एक नए अभियान की शुरुआत की। उस अभियान में देश के गांवों को सभी प्रकार की मजबूती प्रदान की जानी थी। उस नीति के तहत पानी, बिजली, सड़क, संचार, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर सभी गांवों को दी जानी थी। युद्ध–स्तर पर उन विकास के नए फार्मूलों पर काम शुरू किया गया। सरकार के विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में ग्रामीण विकास, ऊर्जा,स्वास्थ्य, संचार, सड़क परिवहन की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं को मिलाकर उसे नया नाम दिया गया 'भारत निर्माण' और विकास की गाड़ी चल पड़ी।

पिछले दस सालों में सभी क्षेत्रों में काफी गति से काम हुआ है। वैसे हर क्षेत्र में विकास तो दिख रहा है और जिस उत्साह और परिणाम की अपेक्षा थी, वो देखने को नहीं मिल रहा है। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने की एक मुख्य वजह समन्वय का अभाव बताया जा रहा है, क्योकि इन सभी कार्यों में कुल पांच मंत्रालयों के कार्यों का महासंगम है। इस संगम में तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं न कहीं उचित तालमेल नहीं हो पाता है। वहीं से कार्यों में बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इस भारत निर्माण कार्यक्रम का मुख्य संयोजक ग्रामीण विकास मंत्रालय है, लेकिन जो भी योजनाएं हैं उसका लेखा–जोखा तो सम्बन्धित मंत्रालयों के हिस्से में ही जाता है। उस बिंदु पर आकर उत्साह की लहर में एक धीमी गति–सी आ जाती है।

तमाम मसलों के बावजूद देश के गांवों में आधारभूत संरचना के तहत बेहतर कार्य हुए हैं जो दिख भी रहे हैं।

गांवों में आधारभूत संरचना मुहैया करवाए जाने के उपक्रमों के तहत केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में 2009 में 38,484 गांवों में सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा था, इसमें प्रत्येक गांव की आबादी कम से कम 1000 और उससे ऊपर की होनी जरुरी थी। उसके बाद पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र प्राथमिकता सूची में थे। सड़क निर्माण के क्रम में 1,46,185 किलोमीटर की सड़क बनाने का लक्ष्य था, जिसमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा पर कार्य हो चुका है। शेष कार्यों के लिए तय फंड सम्बन्धित विभागों को दिया जा चुका है।

गांवों को बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया में पूरे देश में 1,94,132 किलोमीटर सड़क को पहले से ज्यादा अच्छा और उन्नत किए जाने का भी प्रस्ताव था। उस पर भी कार्य जारी है। इन सभी कार्यों में लगभग 48 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान था। इस कार्य में यह सुनिश्चित किया गया था कि जो भी सड़क बनाई जाए, वो विश्व–स्तर की क्वालिटी की हो। सड़क निर्माण के तहत 2007–08 में ही सिर्फ शोध,अध्ययन और विकास के लिए करीब 6 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। सड़क निर्माण के तहत जरुरत के मुताबिक स्थान के अनुसार बड़े और छोटे पुलों का निर्माण भी इस अभियान में शामिल किया गया था।

सड़क के बाद आवास को प्राथमिकता में रखा गया था। आवास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा एक नए मंत्रालय आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के तहत 1985–86 से ही इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है, लेकिन उसमें पिछले दस वर्षों में द्रुत गति से कार्य हुआ है,जो सबके सामने है। इस योजना में गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पहले कई तरह के प्रतिबंध थे, पर अब ये सभी उन ग्रामीणों के लिए हैं, जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र

और राज्यों की भागीदारी की भी व्यवस्था है। केंद्र की तरफ से 75 प्रतिशत राशि दी जाती है तो राज्यों को अपने स्तर पर 25 प्रतिशत का योगदान आवश्यक होता है। लेकिन देखने में ये आया है कि राज्यों के स्तर पर उन कार्यक्रमों में आसानी से योगदान नहीं दिया जाता, जिससे वैसे कार्य बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। उलटे सम्बन्धित राज्य विकास न होने का आरोप केंद्र पर जड़ देते हैं, इससे योजनाएं तो प्रभावित होती ही हैं, साथ में एक राजनीतिक मुद्दा बनने से आम आदमी को उन विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल पाता।

आवास के अलावा गांवों में धूम्ररहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालयों के निर्माण को भी सरकार ने अपनी कार्यसूची में रखा था, जिस पर आज भी कार्य जारी हैं। गांवों में हर तरह से स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "निर्मल ग्राम पुरस्कार "की शुरुआत की थी, जिसका आज की तारीख में संतोषजनक परिणाम देखने को मिल रहा है।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2007–08 में ग्रामीण आवास के लिए कुल 40,322.70 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। जबकि 2008–09 में 5645.77 करोड रुपये का आबंटन किया गया था, जिसमें लगभग 22 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य था। परन्तु लक्ष्य के मुताबिक उन आवासों का निर्माण नहीं हो सका था।

हमारे गांवों में पहले की तुलना में सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। इससे हमारे कृषि उत्पादन में भी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है।

सरकारी आंकड़ों के मद्देनजर 2005 से 2009 तक देश में कुल 42 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बड़ी, मध्यम और लघु, तीनों तरह की सिंचाई योजनाएं शामिल की गई थी, यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इस स्कीम में सभी राज्यों की उन सिंचित भूमि को शमिल किया गया था, जिस पर उन योजनाओं के शुरू होने के पहले सिंचाई से जुड़े खास कार्य नहीं हो सके थे, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात ,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। उत्तर–पूर्व के राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है, जहां सिंचाई को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

देश के गांवों में शुद्ध पेयजल भी उन कार्यों की सूची में शामिल किया था, जिससे हमारे गांवों में पीने योग्य पानी मिल सके। शुद्ध पेयजल भारत निर्माण के उन छह घटकों में से एक है जिसके बिना हम अपने गांवों में सुदृढ़ आधारभूत संरचना की उचित कल्पना नहीं कर सकते। पानी बिना जग सूना की कहावत को दूर करने की नीयत से सरकार ने गांव–गांव, घर–घर में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की योजनाओं पर अमल किया, जिसके आशातीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगा है। एक सर्वे के अनुसार 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण शुद्ध पेयजल का अभाव बताया जाता है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की मुहिम के तहत ही जल में पाए जाने वाले आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे तत्त्वों से छुटकारा पाने के लिए भी केंद्र और राज्य–स्तर पर कई अभियान चलाए गए हैं, जिसके हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

ऐसे ही कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ही एक नया बहुचर्चित कार्यक्रम "स्वजलधारा" की शुरुआत की गई थी, जिससे पूरे देश में लाखों की आबादी को एक नए अनुभव का एहसास हुआ था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5–5 लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया था। उस प्रशिक्षण के तहत सभी सम्बन्धित लोगों को पेयजल की क्वालिटी की उचित जांच की जरुरी जानकारी दी गई थी। ऐसा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के बैनर के अंदर किया गया था। इस योजना पर केंद्र ने हर संभव मदद देने की कोशिश की थी।

अब हम अपने गांवों में बिजली की बात करते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2005 में

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की थी। बाद में इसे भारत निर्माण कार्यक्रम से जोड़े दिया गया था। इससे गांवों में लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने में मदद मिली है। केंद्र–स्तर पर दी जाने वाली इस मदद में राज्य स्तर पर सिर्फ सहयोग की अपेक्षा है, परन्तु कई राज्य इस मामले में उदासीनता बरतते दिख रहे हैं जोकि एक राष्ट्रीय चिंता और चिंतन की बात है।

इस बिजली व्यवस्था से देश के हजारों गांवों में दूरसंचार, खादी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रों में विकास कार्यों को मदद मिल रही है। इन योजनाओं से गांवों में पहले की तुलना में रोजगार का सृजन हुआ है और हो रहा है। उसका प्रभाव गांव से शहर की ओर हो रहे पलायन पर भी पड़ा है। वर्ष 2002–07 में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 80 हजार गांवों में बिजली मुहैया करवाने का लक्ष्य था जोकि 2011–12 में घटकर मात्र 18 हजार गांव बाकी रह गए। इसे हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा गैर–पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा से भी गांवों में बिजली मुहैया कराई जा रही है, जिसे हम मुख्य तौर पर सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। भारत की मदद से देश में तो इस मसले पर काफी काम हुआ है, परन्तु अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, तंजानिया जैसे देशों में भी सौर ऊर्जा का प्रचलन बढ़ा है और बढ़ रहा है जिसमें भारत की सक्रिय भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

आज गांव–गांव में सबके हाथ में मोबाइल फोन देखने को मिल रहा है, ये एक प्रगति सूचक है। हमारे विचार से समग्र विकास के लिए समग्र सूचना का होना बहुत जरुरी है। सरकार ने सूचना को शक्ति और हथियार बनाकर आम जन को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाया है जोकि इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है।

गांवों में शहर से भी ज्यादा आधारभूत संरचना प्रदान करने और उसे मजबूती दिए जाने को लेकर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने एक नया विकास का मॉडल देश को दिया था, जिसे PURA "(Providing Urban A menities in Rural Areas)। पूरा के नाम से जाना जाता है। उस पर केंद्र के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने काफी काम किया था। आज उस फार्मूले पर कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं।

इन कार्यक्रमों में रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर संचार ,ज्ञान और वित्तीय शक्ति को बढ़ाए जाने के सभी वैज्ञानिक फार्मूलों का जिक्र है, जिस पर ईमानदारीपूर्वक अमल किए जाने से किसी देश को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता।

उल्लेखनीय है की इस "पूरा" कार्यक्रम की संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने भी बेहद तारीफ की थी और कई देशो से आह्वान किया था कि भारत के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को अपने–अपने देश में अपनाए और विश्व को एक समग्र विकसित राष्ट्र में तब्दील करें।

प्रधान सम्पादक, ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज़ www.palpalindia-com नई दिल्ली
ई–मेल : krakesh8@gmail-com] ggovnews@gmail-com

बिहार में मजबूत होती आधारभूत संरचनाएं

मो. सनउवर अली

प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना को व्यवस्थित करते हुए बिहार ने विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। परिणामत: चार हजार करोड़ रुपये का योजना आकार बढ़कर 34 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है। हालांकि पहले बिहार को 'बीमारु राज्य' कहा जाता था किन्तु 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रथम वर्ष (2012-13) में बिहार की विकास दर 14.48 रही जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2013-14 का बजट आकार 92088 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य का अपना कर संग्रहण वर्ष 2012-13 में 16253 करोड़ रुपये था। वर्ष 2013-14 में इसका लक्ष्य बढ़ाकर लगभग 20963 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है।

राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है और मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही ध्यान केन्द्रित किया है। इसके लिए बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए सरकार सभी वंचित वर्गों को स्कूल पहुंचाने, नए खोलने, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि करने, प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने, नामांकन में वृद्धि लाने के लिए प्रयास कर रही है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में निरंतर कमी आई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पोशाक, साईकिल एवं छात्रवृत्ति योजनाओं को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इन कार्यक्रमों को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत कुल 989744 छात्राओं को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों के 9वीं कक्षा में नामांकित 14.50 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को साईकिल

उपलब्ध करायी जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के द्वारा नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि की गई है। हुनर योजना के तहत 17000 बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। हुनर–IV के तहत 5000 बालिकाओं को कौशलवर्धन/व्यावसायिक शिक्षण –प्रशिक्षण देने की परियोजना 05 सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है। राज्य के 100 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है।

प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार से माध्यमिक शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हर ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के नीतिगत फैसले के आलोक में 4500 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से आच्छादित किया। इस वर्ष 1000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। इस फैसले से जहां एक ओर लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे वहीं दूसरी ओर यह जनसंख्या स्थिरीकरण में सहायक होगा।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए हर प्रमण्डल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला में पॉलिटेक्निक और सभी अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की व्यवस्था की दिशा में भी बिहार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। राज्य के युवाओं की कौशल क्षमता के विकास के लिए बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। पांच वर्षों में [illegible] करोड़ व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। राज्य के नागरिकों के चहुंमुखी विकास के साथ–साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन–स्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानव विकास मिशन का गठन किया गया है। मानव के चहुंमुखी विकास से जुड़े कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

बिहार में कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए कृषि रोडमैप बनाया है। आज भी राज्य की 89 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है और 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि रोडमैप में न सिर्फ कृषि विकास की बात है, बल्कि बहुआयामी है और इसमें महत्त्वपूर्ण अवयवों को समेटा गया है, ताकि प्रथम हरित क्रांति से छूटे बिहार के कृषि क्षेत्र में इन्द्रधनुषी क्रांति हो। उत्पादन और उत्पादकता के मामले में बिहार के किसानों ने धान, गेहूं और मक्का में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है।

कृषि रोडमैप के माध्यम से प्रयास है कि अपने किसानों को समय से गुणवत्तापूर्ण उपादान उपलब्ध हो, उन्हें नई तकनीकों से अवगत एवं प्रशिक्षित करें ताकि उनकी क्षमता का संवर्द्धन हो सके। इसके साथ विभिन्न योजनाओं में कृषकों को अनुदान सहयोग से बिहार में कृषि विकास को नई दिशा दी जा रही है। कृषि कैबिनेट द्वारा कृषि रोडमैप के कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। योजनाओं के स्वरूप, संरचना एवं क्रियान्वयन का अध्ययन कराकर समीक्षा की जा रही है और योजनाओं के परिणाम का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

अब किसानों को दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और मुर्गीपालन के क्षेत्र में भी आगे आना होगा। सरकार द्वारा इसके प्रोत्साहन के लिए भी गव्य विकास, मुर्गीपालन, बकरी पालन एवं मछली पालन जैसी कई नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसका लाभ उठाकर इन क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में हरियाली मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी योजना, निजी

धशाला योजना एवं वृक्ष संरक्षण आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र, जो लगभग 9 प्रतिशत था, वह बढ़कर अब लगभग 10.3 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2017 तक इसे 15 प्रतिशत पर पहुंचाने का लक्ष्य है। गत डेढ़ वर्ष में वन विभाग द्वारा 4.28 करोड़ से अधिक खर्च कर पौधारोपण किया गया है।

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक बिहार में विभिन्न इकाईयों द्वारा 5600 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया है, जिसके विरुद्ध इन इकाईयों को प्रोत्साहन प्रावधानों के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिया जा चुका है। अद्यतन 191 इकाईयां उत्पादन में आ चुकी हैं और इसके अतिरिक्त 184 यूनिट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। गत एक वर्ष में ही 91 इकाईयों ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है जिससे लगभग 495 करोड़ रुपये का निवेश राज्य में प्रभावित हुआ है। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति के कारण पिछले एक साल के दरमियान राज्य में चावल मिलिंग क्षमता में प्रति वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है।

इस वर्ष निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए नई नीति अधिसूचित की गई है जिससे निजी उद्यमियों को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग एवं उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं पर संवाद स्थापित करने के लिए गत एक वर्ष से उद्यमी पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक पांच उद्यमी पंचायतों का आयोजन किया गया है। पटना में हीरा तराशने की इकाई का स्थापित होना बहुत सारे मायनों में बिहार में औद्योगिकीकरण के नए नजरिए को दर्शाता है।

बिहार सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है और ये हमारी नीतियों का अभिन्न अंग है। महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनके विरुद्ध होने वाले भेदभावों को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसके फलस्वरुप आज 55 प्रतिशत महिलाएं मुखिया पद पर आसीन हैं और 76 प्रतिशत जिला परिषद अध्यक्ष हैं। हर जिले में एक महिला पुलिस थाना की स्थापना की गई है। राज्य में पहली बार महिला बटालियन का गठन किया गया है। राज्य में 10 लाख स्वयंसहायता समूहों का गठन हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ सके। जीविका परियोजना के तहत अब तक 1 लाख 15 हजार से अधिक महिला समूहों का गठन किया जा चुका है।

शिक्षा

4500 माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों में से इस वर्ष 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना प्रगति पर है। वर्ष 2013–14 में राज्य के सभी सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में वर्ग 1 से 10 तक की सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए कुल 1120.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के राजकीय/मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित 748607 छात्रों को साईकिल उपलब्ध कराने के लिए

187.15 करोड़ रुपये एवं 703875 छात्राओं को साईकिल उपलब्ध कराने हेतु 175.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

स्वास्थ्य

राज्य का टीकाकरण का औसत वर्ष 2005 की तुलना में 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 68.4 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। आयुष विद्या के अंतर्गत 65 दवाएं प्रथम बार दर अनुबंध कर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई। विगत वर्षों से पोलियो उन्मूलन चक्रों का बिहार में सफल संचालन के फलस्वरूप राज्य में सितम्बर 2010 से आज तक एक भी पोलियो का केस नहीं है।

राज्य के नए मेडिकल कॉलेज वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अन्य 2 नए मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई के लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में 50 नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 50 श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 50 अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में 50 एवं जवाहरलाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर में 50 एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरिया सराय में नामांकन हेतु 10 सीटों की वृद्धि की गई है।

पेयजल एवं स्वच्छता

ग्रामीण क्षेत्रों के 5885 सरकारी/सामुदायिक भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा हेतु चापाकलों का निर्माण तथा 4977 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्मित किए गए।

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में पेयजल की व्यवस्था हेतु भागलपुर जिला के 86 ग्रामों/टोलों के लिए बहुग्रामीय योजना का कार्य प्रगति पर है तथा बेगूसराय जिला के 111 ग्रामों/टोलों सहित समस्तीपुर जिला के 67 ग्रामों/टोलों के लिए नई बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई। इसके साथ ही अर्सेनिक प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेयजल हेतु 11 लघु जलापूर्ति योजना पूर्ण तथा 25 योजना का कार्य प्रगति पर है।

राज्य की फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेयजल हेतु समुचित ट्रीटमेंट एवं सोलर पम्प आधारित 70 लघु जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण पूरा हो चुका है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का निर्मल भारत अभियान के साथ कनवर्जेंस कर 10000 रुपये का व्यैक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण का निर्णय लिया गया है।

जल संसाधन

राज्य में इस वर्ष अब तक 16.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का प्रबंध किया गया हैं, जो विगत 25 वर्षों में सर्वाधिक है। 2013 की अवधि में तटबंधों पर अनवरत चौकसी एवं अनुश्रवण के परिणामस्वरूप 3732 कि.मी. में निर्मित तटबंट पूर्णतः सुरक्षित बनाए गए हैं। बाढ़ की विभीषिका का सामना करने के लिए बाढ़ के पूर्व तथा बाढ़ के दौरान की जाने वाली तैयारी एवं कार्रवाई के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है।

कृषि कैबिनेट द्वारा कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा सहित योजनाओं के स्वरूप, संरचना एवं क्रियान्वयन का अध्ययन कराकर समीक्षा की जा रही है। साथ ही योजनाओं के परिणामों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन जारी है ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 2.32 प्रतिशत कम क्षेत्र में धान के आच्छादन के बावजूद उत्पादन में 1.22 प्रतिशत तथा उत्पादकता में 3.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 में गेहूं का आच्छादन 21.42 लाख हे. से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 22.15 लाख हे. हुआ। वर्ष 2012–13 में उत्पादन एवं उत्पादकता में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में क्रमशः 13.99 एवं 11.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में क्रमशः 4.23 एवं 3.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में क्रमशः 15.11 था 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग्रामीण कार्य

राज्य के गांवों की समृद्धि एवं विकास के लिए राज्य के सभी अनजुड़े गांवों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नए पथों का निर्माण एवं पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा चुकी है। गत एक वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 3411.68 करोड़ रुपये व्यय कर 7796.55 कि.मी. ग्रामीण सड़कें पूर्ण की गई जो औसतन प्रतिदिन 41.47 कि.मी. है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

खेतीबाड़ी

पछेती गेहूं की अधिक पैदावार के लिए उन्नत विधियां

राजेन्द्र सिंह छोकर

गेहूं भारत की एक महत्वपूर्ण अन्न फसल है। उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। गेहूं वाले कुछ प्रमुख फसल चक्र धान-गेहूं, कपास-गेहूं, गन्ना-गेहूं, बाजरा-गेहूं, सोयाबीन-गेहूं, अरहर-गेहूं, व मक्का-गेहूं है। गेहूं की बिजाई का उत्तम समय 1 से 15 नवम्बर है। इसके बाद की बिजाई पछेती होती है। समय से बिजाई न करने से गेहूं की पैदावार में 16-40 कि.ग्रा./हे./दिन कमी हो जाती है। गेहूं की बिजाई में देरी मुख्यतः पहली फसल की देर से कटाई है। उन्नत सस्य क्रियाएं अपनाकर हम पछेती गेहूं की भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारा गेहूं का उत्पादन 9.39 करोड़ टन है लेकिन हमारी बढ़ती जनसख्या के कारण गेहूं उत्पादन में अधिक वृद्धि की आवश्यकता है।

गेहूं की बिजाई में देरी मुख्यतः पहली फसल की देर से कटाई है। गेहूं की बिजाई में देरी होती है जब इसे बासमती धान, कपास, तोरिया, आलू या गन्ना के बाद उगाया जाता है। पछेती गेहूं में पैदावार में कमी मार्च व अप्रैल में अधिक तापमान से दानों का वजन कम होने से होती है।

सही किस्मों का चयन

बहुत देर से बिजाई वाली अवस्था में हमें कम अवधि में पकने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। हमेशा उन्नत, बीमारीरोधक, नई तथा क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत प्रजातियों का चयन करें। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कम अवधि में पकने वाली किस्में सारणी में दी गई हैं।

बिजाई का तरीका

जीरो टिलेज व रिले फसल अपनाकर हम बिजाई में देरी को कम कर सकते हैं। जीरो टिलेज विधि अपनाकर जुताई खर्च कम करके किसान भाई अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। जीरो टिलेज की नई मशीनें जैसे कि रोटरी डिस्क ड्रील व ट्रबो सीडर, खुली पड़ी पराल में बिजाई कर सकती हैं। इस विधि को अपनाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं तथा पराल को न जला प्रदूषण को भी कम कर सकते

पछेती गेहूं की किस्में			
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**बिजाई का समय**	**किस्में**
1.	उत्तरी पर्वतीय पहाड़ी भाग जम्मू–कश्मीर (जम्मू और कठुआ जिलों को छोड़कर), हिमालय प्रदेश (ऊना और पोंटा घाटी को छोड़कर) उत्तराखंड (तराई क्षेत्रों को छोड़कर), सिक्किम, पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र	समय से (1 से 15 नवम्बर)	वी एल 907, वी एल 738, वी एल 804, एच एस 240, एच एस 507
		देर से (25 नवम्बर के बाद 30 दिसम्बर तक)	एच एस 490, वी एल 892, एच एस 420, एच एस 295
2.	उत्तर–पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जम्मू जनपद एवं कठुवा, हिमाचल प्रदेश के ऊना एवं पोंटा घाटी और उत्तराखंड (तराई क्षेत्र)	समय से (1 से 15 नवम्बर)	एच डी 2967, डी पी डब्ल्यू 621–50, पी बी डब्ल्यू 502, डी बी डब्ल्यू 17, डब्ल्यू एच 542, एच डी 2687, पी बी डब्ल्यू 550, पी बी डब्ल्यू 502
		देर से (15 दिसम्बर के बाद 10 जनवरी तक)	डी बी डब्ल्यू 16, पी बी डब्ल्यू 590, पी बी डब्ल्यू 373, यू पी 2425, डब्ल्यू आर 544
3.	उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम एवं उत्तर–पूर्वी राज्यों के मैदानी भाग	समय से (1 से 20 नवम्बर)	डी बी डब्ल्यू 39, सी बी डब्ल्यू 38, राज 4120, के 307, एच डी 468, के 9107, एच पी 1761
		देर से (15 दिसम्बर के बाद 10 जनवरी तक)	एच डी 2985, एच आई 1563, एच डब्ल्यू 2045, डी बी डब्ल्यू 14, एन डब्ल्यू 2036, एच डी 2643, एन डब्ल्यू 1014, एच पी 1744, हलना (बहुत देर से)
4.	मध्य भारत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थाान के कोटा एवं उदयपुर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड क्षेत्र	समय से (10 से 20 नवम्बर)	एच आई 1544, जी डब्ल्यू 366, जी डब्ल्यू 322, जी डब्ल्यू 273, डी एल 803–3, एच आई 8496 (डी), एम पी ओ 1215(डी), एम पी 3288
		देर से (10 दिसम्बर के बाद 30 दिसम्बर तक)	एम पी 1203, एच डी 2864, एच डी 2932, एम पी 4010, डी एल 788–2
5.	प्रायद्वीपीय भारत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गोवा एवं तमिलनाडु के मैदानी भाग	समय से (1 से 15 नवम्बर)	यू ए एस 428(डी), राज 4037, जी डब्ल्यू 322, एच यू डब्ल्यू 510, डी डब्लयू आर 162, एच डी 2189, एम ए सी एस 2971 (डाईकोक्म), एच आई 8663 (डी), डी डी के 1025(डाईकोक्म), एम ए सी एस 6222,
		देर से (1 दिसम्बर के बाद 30 दिसम्बर तक)	ए के ए डब्ल्यू 4627, पी बी डब्ल्यू 533, एच डी 2932, एच डी 2833, राज 4083, एन आई ए डब्ल्यू 34
6.	दक्षिणी पहाड़ी भारत तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्र– नीलगिरी एवं पालनी पर्वतीय क्षेत्र	–	एच डब्ल्यू 2044, एच डब्ल्यू 1085, सी ओ डब्ल्यू (डब्ल्यू)–1

हैं। पराल जलाने से प्रदूषण होने के साथ–साथ पोषक तत्वों की भी हानि होती है। रेतीली भूमि या काली दोमट मिट्टी में शुष्क बिजाई उपरान्त सिंचाई करके भी हम पलेवा उपरान्त बिजाई में देरी से बच सकते हैं।

बीज की दर व पंक्तियों की दूरी– बीज हमेशा साफ–स्वस्थ, तथा खरपतवारों के बीजों रहित होना चाहिए। पछेती गेहूं के लिए बीज की मात्रा 25 प्रतिशत अधिक (125 कि.ग्रा./हे.) प्रयोग में लानी चाहिए। बीज दर, दानों का भार, जमाव प्रतिशत

तथा भूमि की दशा पर भी निर्भर है। साधारण तया यदि 1000 बीजों का भार 38 ग्रा. हो तो बीज दर पछेती बिजाई के लिए 125 कि.ग्रा./हे। यदि भार इससे अधिक या कम है तो उसी अनुपात में बीज दर घटाई या बढ़ाई जानी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी सामान्य (20 से.मी.) से घटाकर 15–17.5 से.मी. कर लेनी चाहिए। बुवाई से पहले बीज को 5–6 घंटे पानी में भिगोकर छाया में सुखाकर कवकनाशी से उपचारित करें। (विटावैक्स या थाइरम 2.5 ग्राम/कि. ग्रा. बीज) भीगे हुए बीज का हम झुकी हुई (इनकलाइन्ड) प्लेट वाली ड्रिल से बिजाई कर सकते हैं।

गेहूं की रोपाई– बहुत देर से (जनवरी) बुवाई वाली स्थिति में गेहूं की रोपाई भी एक विकल्प हो सकता है। इसके लिए 25–30 दिन की गेहूं की पौध की रोपाई की जा सकती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10–15 से.मी. व पौधों से पौधों की दूरी 5–7 से.मी. रखी जाती है। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें ताकि पौधे जल्दी जड़ पकड़ जाए।

सतही बिजाई– जो खेत काफी समय तक गीले रहते हैं उन खेतों में सतही बिजाई द्वारा बुवाई में देरी से बचा जा सकता है। इसके लिए 150 कि.ग्रा. बीज/हे. को गोबर के घोल से उपचारित करके सतह पर छिड़क कर बोया जाता है। इस विधि में शुरू में भूमि में अच्छी नमी की जरुरत होती है।

मेड़ पर बुवाई– इस विधि में शुष्क दशा में बुवाई कर सिंचाई करने पर हम बुवाई को अगेता कर सकते हैं। दिसंबर व जनवरी में कम तापमान की वजह से पलेवा सिंचाई की जाती है तो खेत को तैयार करने में काफी समय लगता है। इस विधि से हम कुछ अन्य फसलें भी गेहूं के साथ ले सकते हैं जैसे कि गन्ने को नालियों में तथा गेहूं को मेंड पर लगाया जाता है।

क्रास (आरपार) बुवाई– प्रचलित विधि की तुलना में यदि क्रास (आर–पार) की बुवाई की जाती है तो पैदावार में 2–3 कि./हे वृद्धि पायी जाती है। देर से बिजाई वाली स्थिति में 62.5–70 कि.ग्रा. बीज/हे. एक दिशा में तथा इतना ही बीज दूसरी दिशा मे बोना चहिए। इस विधि को अपनाने से पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है तथा पैदावार से बढ़ोतरी होती है।

गेहूं में प्रयोग होने वाले मुख्य शाकनाशी

क्रं. सं.	शाकनाशी	मात्रा ग्रा./हे. सक्रिय पदार्थ	खरपतवार के प्रकार का नियंत्रण
1.	आइसोप्रोट्यूरान	1000	घास व चौड़ी पत्ती
2.	सल्फोसल्फयूरॉन	25	घास व चौड़ी पत्ती
3.	टोटल (अल्फोसल्यूरॉन+ मैटसल्यूरॉन)	32 (30+2)	घास व चौड़ी पत्ती
4.	एंटलांटिस (मैजोसल्यूरॉन+ आइडोसल्यूरॉन)	14.4 (12+2.4)	घास व चौड़ी पत्ती
5.	फिनोक्साप्रोप	160	घास वाले
6.	क्लोडिनाफोप	60	घास वाले
7.	पिनोक्साडेन	40–50	घास वाले
8.	पैन्डिमैथलिन	1000	घास व चौड़ी पत्ती
9.	2,4–डी	500	चौड़ी पत्ती
10.	मैटसल्यूरॉन	4	चौड़ी पत्ती
11.	कारफैन्ट्राजोन	20	चौड़ी पत्ती

रोटरी डिस्क ड्रिल से गन्ना, कपास व अरहर की कटाई के बाद तुरंत बिजाई

रोटरी डिस्क ड्रिल बिखरे पड़े फसल अवशेष या गन्ना, कपास व अरहर की कटाई के उपरान्त सीधी बिजाई करने में सक्षम है। इस मशीन में लगे तवे डिस्क फसल अवशेषों को काटते हुए बिजाई कर देते हैं। इस मशीन से गेहूं के अवशेषों में भी मूंग व लोभिया की सीधी बुवाई संभव है। इस विधि में बिजाई करने पर जो अवशेष सतह पर रहते हैं वे भूमि में नमी बनाए रखने तथा खरपतवारों को दबाने में सहायक रहते हैं।

खाद व उर्वरक – पछेती गेहूं के लिए 120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फास्फोरस 40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हे. की आवश्यकता होती है। पूरी फास्फोरस व पोटाश तथा आधी नाइट्रोजन बुवाई के समय डालनी चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय छिड़कनी चाहिए। भूमि में उर्वरता तथा जीवांश पदार्थ बनाए रखने के लिए 10–15 टन/हे. की दर से गोबर की अच्छी तरह से सड़ी–गली खाद प्रयोग में लाए। कुछ क्षेत्रों में गंधक, जस्ता, मैगनीज एवं बोरान की कमी पाई गई है। ऐसे क्षेत्रों में इन तत्वों का प्रयोग मृदा परीक्षण अनुरूप करना लाभदायक होगा।

सिंचाई– पहली सिंचाई बिजाई के 20–25 दिन उपरान्त करनी चाहिए तथा इसके उपरान्त मृदा के प्रकार के अनुसार लगभग 20 दिन के अन्तराल पर करनी चाहिए। पछेती गेहूं के पकने के समय वातावरण का तापमान अधिक होता है जिससे बचाव के लिए हमें फव्वारा विधि या जल्दी–जल्दी हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बाली निकलने पर जब हवा बन्द हो तब ही हल्की सिंचाई करें।

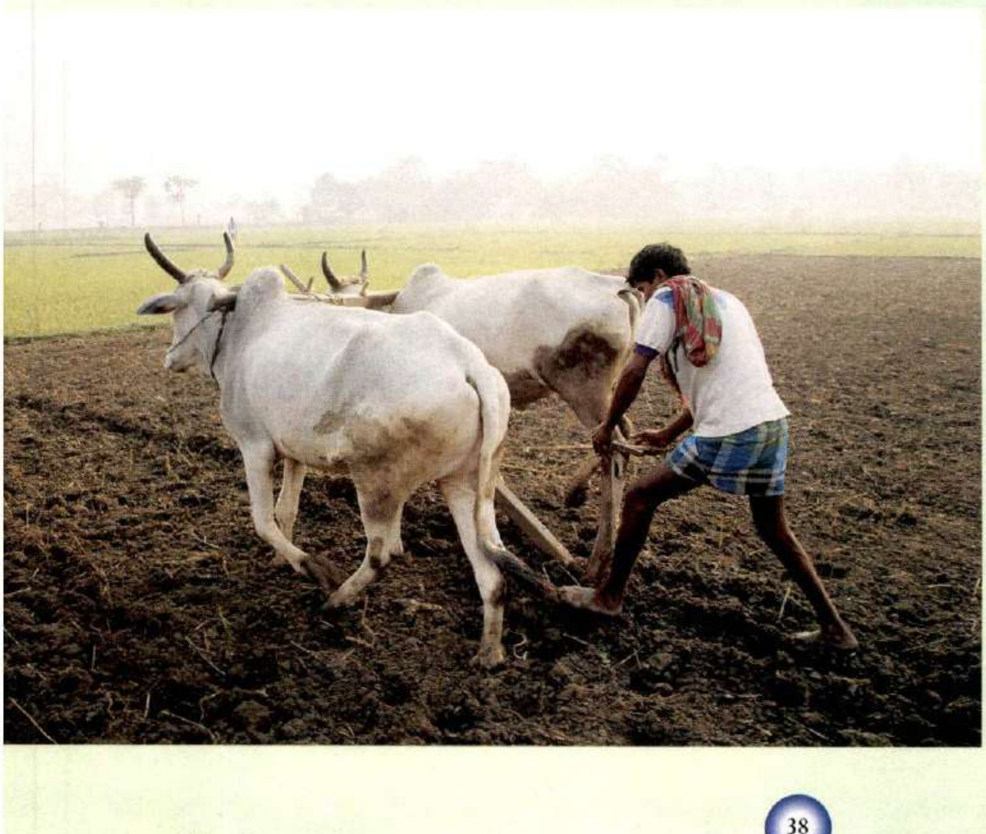

खरपतवार प्रबंधन– खरपतवार गेहूं में एक मुख्य समस्या है। गेहूं में संकरी व चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। खरपतवार साधारणतया 25–30 प्रतिशत तक हानि पहुंचाते हैं। लेकिन कभी–कभी खरपतवार के प्रकार तथा इनकी संख्या पर निर्भर होते हुए 80 प्रतिशत तक की भी हानि हो जाती है।

गेहूं में संकरी पत्ती (घास) वाले मुख्य खरपतवार, कनकी/मंडूसी, गल्ली डंडा, जंगली जई, पोआ घास तथा लोम्मड़ घास है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में मुख्य बथुआ, जंगली पालक, कृष्णनील, मैथा, हिरणखुरी, चटरी–मटरी, कंडाई, मकोय तथा मालवा हैं। पछेती गेहूं में कुछ खरपतवार जैसे मंडूसी/कनकी की समस्या अधिक होती है तथा कुछ खरपतवार जैसे जंगली जई की समस्या कम होती है। इसका मुख्य कारण तापमान में काफी गिरावट होना है। कम तापमान कनकी के लिए लाभकारी हैं पर जंगली जई के लिए नहीं।

खरपतवार नियंत्रण के लिए अन्य विधियों की तुलना में रासायनिक विधि अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें कम लागत व समय में प्रभावी नियंत्रण मिलता है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ प्रमुख शाकनाशी सारणी–2 में दिए गए हैं।

शाकनाशी के अलावा कुछ सस्य क्रियाएं भी अपनाकर खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है। जैसेकि

- खरपतवार रहित बीज उपयोग में लाएं।
- समय पर बिजाई करें तथा पंक्तियों की दूरी घटा दें।
- प्रतिस्पर्धा वाली किस्में प्रयोग में लाएं।
- गेहूं की बिजाई से पहले हल्की सिंचाई कर खरपतवारों को उगने दे तथा हल्की जुताई कर इन्हें नष्ट करें।
- खरपतवारों के बीज न बनने दें।

कीट प्रबंधन – हल्की भूमि में दीमक एक प्रमुख समस्या है। दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाईरीफास 60 मि.ली. को दो लीटर पानी में मिलाकर 40 कि. बीज को उपचारित करें। क्लोरपाईरीफास 5 ली./हे. या इमिडक्लोप्रिड 1.0 ली/हे. का छिड़काव कर खड़ी फसल में दीमक पर नियंत्रण कर सकते हैं। कीटनाशक

का इस मात्रा को 20 कि.ग्रा. रेत या बारीक मिट्टी व 2–3 लीटर पानी में मिलाकर डालें। चेपा व तेली का प्रकोप भी कभी–कभी फरवरी–मार्च में गेहूं की पत्तियों और बालियों में पाया जाता है। यदि इनकी सख्या 10 कीट/पौधे हो तो कीटनाशक (मैलाथियान 50 ईसी 1.0 ली./हे.) फसल पर छिड़के।

रोग प्रबंधन– गेहूं में मुख्यतः रतुवा का प्रकोप होता है। इसके अलावा कडुवा, करनाल बंट, चूर्णिल आसिता एवं झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। रतवे (पीला, भूरा व काले) की रोकथाम के लिए नई अवरोधी किस्मों को बोना चाहिए। यदि रतुआ के लक्षण खड़ी फसल में दिखे तो प्रोपीकोनाजोल (टिल्ट 25 ईसी) 0.1 प्रतिशत या टेबुकोनेजोल (फोलीकर 250 ईसी) 0.1 प्रतिशत या ट्राईडेमेफोन (बेलेटोन 25 डब्ल्यू पी) 0.1 प्रतिशत का घोल 200 लीटर/एकड़ पानी में बनाकर छिड़काव करने के बाद में 10 से 15 दिन के अंदर पर 2–3 छिड़काव करें।

कंडुवा रोग से बालियों में दानों की जगह काला चूर्ण भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए वीटावैक्स या खुली कांगयारी, ध्वजपत्ता कांगियारी व करनाल बंट से बचाव के लिए कार्बोक्सीन (विटावेक्स 75 डब्ल्यू पी 2.5/कि.ग्रा की दर से) या टेबूकोनेजोल (रैक्सिल 2 डी एस 1.0 ग्रा/कि.ग्रा. बीज की दर से) या कार्बेन्डाजीम (बाविस्टीन डब्ल्यू पी 2.5 ग्रा./कि.ग्रा. बीज की दर से) उपयोग करें।

- फफूंदीनाशकों का बुवाई से एक या दो दिन पहले बीजोपचार करना चाहिए।
- करनाल बंट के प्रकोप को कम करने के लिए जीरो टिलेज गेहूं की बिजाई की विधि को अपनाए तथा प्रतिरोधी किस्म जैसे पी बी डब्ल्यू 502, पी डी डब्ल्यू 233, डब्ल्यू एच 896 की बिजाई करें।

- चूर्णिल आसिता (पाउडरी मिल्ड्यू) के नियंत्रण हेतु प्रोपीकोनाजोल (टिल्ट 25 ई.सी. 01 प्रतिशत) का एक छिड़काव बाली निकलते समय या बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में करना चाहिए।
- पूर्वी भारत में इयर कॉकल एक मुख्य बीमारी है । अतः बिहार एवं झारखंड में किसानों को फ्लोटेशन तकनीक (बीज को 2 प्रतिशत नमक के घोल में डुबोना) द्वारा गॉल, प्रभावित बीजों को अलग कर लेना चाहिए। लेकिन बिजाई से पूर्व बीज को अच्छी तरह से पानी में धो लेना चाहिए।

वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान)
गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल 132001

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
पता ....
.... पिन ....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

In Association with

ALS IAS

ETEN IAS
Institute for Administrative Services

India's largest IAS Coaching Network

UPSC CIVIL SERVICES EXAM 2014

PRELIMS 2014: GENERAL STUDIES & CSAT
MAINS, OPTIONAL (Geog, Pub Ad)
MOCK TEST SERIES & INTERVIEW

(English & हिन्दी माध्यम)

INDIA'S BEST IAS MENTORS

MR. JOJO MATHEWS

MR. MANISH GAUTAM

MR. SHASHANK ATOM

MR. MANOJ K. SINGH

1464 RANKS IN LAST 12 YEARS

161 successful candidates in 2013

ALOK RANJAN JHA

ALL INDIA RANK 1
2001 Exam

S. NAGARAJAN

ALL INDIA RANK 1
2004 Exam

RUKMANI RIAR

ALL INDIA RANK 2
2011 Exam

ANUPAMA T V

ALL INDIA RANK 4
2009 Exam

ADMISSION OPEN. LIMITED SEATS.

Call: 9654200517/23 | **Toll free:** 1800-1038-362 | **Email:** csp@etenias.com | **Website:** www.etenias.com

ETEN IAS CENTRES: Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Cochin, Dimapur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kanpur, Kohima, Kolkata, Lucknow, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Shillong, Srinagar, Vijaywada, Trivandrum

ALWAYS LEARNING

PEARSON

KH-275/2013

शकरकंदी खाएं, रोग भगाए

अखिलेश चंद्र यादव

प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में तमाम चीजें दी हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में प्रकृति की ओर से मिले उपहार से न सिर्फ हमारा जीवन चलता है बल्कि जीवन को बचाने में भी मदद मिलती है। ऐसा ही एक उपहार है शकरकंद। इस फल के खाने से जहां हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं वहीं हमारे जीवन को विभिन्न बीमारियों से बचाने में भी मदद मिलती है। यह स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसमें भरपूर फाइबर एवं विटामिन पाए जाने की वजह से इसका प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

शकरकंद को कई तरीके से खाया जा सकता है। व्रत में फलाहार के रूप में शकरकंद का सेवन करने का चलन बढ़ा है। चूंकि यह शरीर को एनर्जी देने के साथ ही कई बीमारियों से भी बचाता है।

शकरकंद एकवर्षीय पौधा है, लेकिन कई बार यह बहुवर्षीय व्यवहार कर सकता है। यानी इसे एक बार लगाने के बाद उसे बार–बार खोदकर खाद्य पदार्थ के रूप में इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रूपान्तरित जड़ की उत्पत्ति तने की पर्वसन्धियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं। इसकी फूली हुई जड़ को ही खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जड़ का रंग लाल अथवा भूरा होता है एवं यह अपने अंदर भोजन संग्रह करती है। जमीन के अंदर पड़ने के बाद जब यह फूलती है तो ऊपर दरारें पड़ जाती हैं। कई बार इसका आकार काफी लंबा और मोटा होता है। आमतौर पर शकरकंदी चार से छह इंच लंबी होती है और इसकी मोटाई तीन से चार इंच की होती है।

भारत में इसकी व्यापक तौर पर खेती होती है। खासतौर से नदियों के किनारे बसे गांवों में इसे भरपूर उगाया जाता है। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारी और बहुत समृद्ध मिट्टी में इसकी उपज कम और जड़ें निम्नगुणीय होती हैं।

शकरकंद की उपज के लिए भूमि की अम्लता विशेष बाधक नहीं है। यह पीएच 5 से 6.8 तक में पनप सकती है। इसकी उपज के लिए प्रति एकड़ लगभग 50 पाउंड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक लाभप्रद होते हैं। पौधा बेल के रूप में उगता है। पौध में कदाचित ही फूल और बीज लगते हैं। आमतौर पर मार्च में इसकी खुदाई होती है। इसके ऊपरी तने को लोग नदी के किनारे अथवा तालाब व कुएं के किनारे मिट्टी में दबा देते हैं। गर्मी के मौसम में हल्की–सी सिंचाई करने के बाद इसका तना तेजी से बढ़ता है। यह सर्पीले आकार में मिट्टी के ऊपर फैला रहता है और बारिश होने के बाद इसी तने को कलम करके खेत में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। फिर इसमें कल्ले निकलते हैं जो पूरे खेत को ढक लेते हैं, लेकिन इसकी जो जड़े मिट्टी के अंदर जाती हैं वह फूलने के बाद मोटी हो जाती हैं और तीन माह बाद यही शकरकंदी के रूप में खोद कर निकाली जाती हैं।

इसे घर के आंगन में बनी क्यारी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। आषाढ़ सावन महीने में एक फुट लंबी कलम का रोपण किया जा सकता है। रोपण में एक फुट लंबी कलमें मेड़ों पर एक से डेढ़ फुट की दूरी पर, 5 से 6 इंच गहरी मिट्टी में दबा दी जाती हैं। बरसात में बेल को सींचा नहीं जाता, पर बरसात के बाद हल्की भूमि की तीन या चार बार सिंचाई की जा सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इसकी खेती होती है। इसके साथ ही सभी अन्य उष्ण प्रदेशों में इसकी खेती होती है। यह ऊर्जा उत्पादक आहार है। इसमें अनेक विटामिन रहते हैं। विटामिन ए और सी की मात्रा सर्वाधिक है। इसमें आलू की अपेक्षा स्टार्च अधिक रहता है। यह उबालकर या आग में पकाकर खाया जाता है। कच्चा भी खाया जा सकता है। सूखे में यह खाद्यान्न का स्थान ले सकता है। इससे स्टार्च और अल्कोहल भी तैयार होता है। फलाहारियों का यह बहुमूल्य आहार है। शकरकंद में आयरन, फोलेट, कॉपर, मैगनीशियम, विटामिन आदि होते हैं जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसको खाने से त्वचा में चमक आती है और चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। शकरकंद विटामिन ए का स्रोत है, खासतौर पर नारंगी रंग के शकरकंद में इसकी भरपूर मात्रा होती है। माना जाता है कि भारत में बच्चों एवं महिलाओं और अफ्रीका जैसे गरीब देशों में आमतौर पर पाए जाने वाले विटामिन ए की कमी को दूर करने की इसमें खासी क्षमता होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कंद से तैयार खाद्य उत्पादों को शामिल करने से उनका पोषण ओर सुधर सकता है। कंद फसलों का इस्तेमाल एथेनॉल (जैवईंधन) तैयार करने में भी किया जा सकता है। हालांकि शकरकंद की श्वेत प्रजातियों में जल की मात्रा अधिक रहती है। लाल प्रजातियां साधारणतया खुरखुरी होती है। इसके तरह–तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसमें मौजूद ढेर सारे पौष्टिक तत्व आपके पूरे स्वास्थ्य को निखार सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग आलू के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन शकरकंद के व्यंजन का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

शकरकंदी खाएं, बीमारी भगाए

प्रतिरक्षा प्रणाली – शकरकंदी में विटामिन बी कांप्लेक्स,

आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी के अलावा बीटी कैरोटीन खूब पाया जाता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

अस्थमा – शकरकंद शरीर को गर्म भी रखती है। इसमें मौजूद विटामिन सी के सेवन से ब्रांकाइटिस और फेफड़ों की परेशानी में भी आराम मिलता है।

अर्थराइटिस–शकरकंदी में मैग्नीशियम, जिंक, बीटा कैरोटीन और विटामिन बी कांप्लैक्ट होते हैं। इसलिए यह अर्थराइटिस के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है।

पाचन शक्ति – शकरकंदी स्वादिष्ट होने के साथ ही पाचन– शक्ति बढ़ाने में भी कारगर है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है।

ब्लड शूगर – इसका नियमित सेवन आपके ब्लड शूगर को नीचे गिरा सकता है और इंसुलिन को बढ़ने नहीं देता है।

कैंसर से बचाए – शकरकंद की गहरे रंग की प्रजाति में अच्छी मात्रा में कैरोटिनॉयड जैसे, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है। ऐसे आहार जिसमें अधिक कैरोटिनॉयड पाया जाता है, वह फेफड़े और मुंह के कैंसर से बचाता है।

त्वचा की देखभाल – इसका नियमित सेवन करने से त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियां कम होती हैं। इसके साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ता है और जल्द बुढ़ापा नहीं आने देता। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जोकि त्वचा में कोलाजिन का निर्माण करके त्वचा की जवानी बनाए रखता है।

आंखों की रोशनी – शकरकंद के सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। रतौंधी तथा बच्चों में वृद्धि रुकने की शिकायत हो तो शकरकंद का सेवन करना चाहिए।

दिल की बीमारी – शकरकंद में विटामिन बी6 होता है जो शरीर में रासायनिक होमोसिस्टीन बनने से रोकता है और हार्ट अटैक से बचाता है। शकरकंद भूनकर खाना ह्रदय को सुरक्षित रखने में उपयोगी है।

ब्लड प्रेशर – शकरकंद में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर और दिन के कार्य को मेंटेन करता है। इसका नियमित सेवन करते रहने से ब्लड प्रेशर में होने वाली अनियमितता खत्म हो जाती है।

तनाव भगाए – इसमें हाई पोटेशियम पाया जाता है जिसे तनाव में आने के बाद शरीर प्रयोग कर लेता है, इसलिए शकरकंद को जरुर खाना चाहिए। साथ ही यह मांसपेशियों की ऐंठन कम करता है जो कि पोटेशियम की कमी से होता है।

मधुमेह – नारंगी रंग के शकरकंदों और कुछ दूसरी फसलों से बने उत्पादों में ग्लाईकेमिक तत्वों की मात्रा कम होने की वजह से वे लोग भी इन उत्पादों का सेवन कर सकेंगे जो मधुमेह के शिकार हैं।

अनिद्रा – अनिद्रा की स्थिति में शकरकंद काफी फायदेमंद माना जाता है। इसका नियमित सेवन करने से अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाती है। यह एक स्लीपर एजेंट के रूप में काम करता है। शकरकंद में अच्छी नींद के लिए जरूरी कार्बोहाइड्रेट के साथ मांसपेशियों को मजबूत आराम पहुंचाने वाला पोटेशियम भी होता है।

मोटापा घटाए – शकरकंद में फाइबर और कॉम्पलैक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इस वजह से यह वजन कम करने में भी सहायक है। डायबिटीज के मरीज ज्यादातर मोटे होते हैं। शकरकंदी खाने से उन्हें बार–बार भूख नहीं लगती और वह जल्द वजन पर नियंत्रण पा लेते हैं।

दिगामी ताकत – शकरकंदी में मौजूद विटामिन बी, फोलेट और बी6 होने के कारण यह दिमागी ताकत को बढ़ाता है। बुजुर्गों में भूलने की बीमारी बढ़ने लगती है। ऐसे में उन्हें सुबह नाश्ते में एक शकरकंदी देना फायदेमंद होता है।

किचन में शकरकंद

रसोई में शकरकंद का हलवा

100 ग्राम शकरकंद में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व

ऊर्जा	359 जूल (86 किलो कैलोरी)	
कार्बोहाइड्रेट	20.1 ग्राम	
स्टार्च	12.7 ग्राम	
शूगर	4.2 ग्राम	
आहार फाइबर	3 ग्राम	
फैट	0.1 ग्राम	
प्रोटीन	1.6 ग्राम	
विटामिन ए	709 ग्राम	(89 फीसदी)
बीटा कैरोटीन	8509 ग्राम	(79 फीसदी)
थाइमिन (बी 1)	0.078 मिलीग्राम	(7 फीसदी)
राइबोफ्लेविन (बी 2)	0.061 मिलीग्राम	(5 फीसदी)
नियासिन (बी 3)	0.557 मिलीग्राम	(4 फीसदी)
पैंटोथेनिक एसिड (बी 5)	0.8 मिलीग्राम	(16 फीसदी)
विटामिन बी6	0.209 मिलीग्राम	(16 फीसदी)
फोलेट (बी9)	11 ग्राम	(3 फीसदी)
विटामिन सी	2.4 मिलीग्राम	(3 फीसदी)
विटामिन ई	0.26 मिलीग्राम	(2 फीसदी)
कैल्शियम	30 मिलीग्राम	(3 फीसदी)
आयरन	0.61 मिलीग्राम	(5 फीसदी)
मैग्नीशियम	25 मिलीग्राम	(7 फीसदी)
मैंगनीज	0.258 मिलीग्राम	(12 फीसदी)
फास्फोरस	47 मिलीग्राम	(7 फीसदी)
पोटेशियम	37 मिलीग्राम	(7 फीसदी)
सोडियम	55 मिलीग्राम	(4 फीसदी)
जिंक	0.3 मिलीग्राम	(3 फीसदी)

स्रोत– यूएसडीए डाटा एंट्री के अनुसार

इन दिनों रसोई में तरह–तरह के व्यंजन बनाए जाने का चलन तेजी से बढ़ा है। व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहतमंद हो, इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे में शकरकंद का हलवा रसोई में नए तरीके से तैयार किया जा सकता है। इसमें कोई खास सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस रूटीन की चीजों से इसे तैयार किया जा सकता है। इसका हलवा बनाने के लिए बस 250 ग्राम शकरकंद, 200 ग्राम पिसी चीनी, 50 ग्राम घी, एक चम्मच छोटी इलायची, एक चम्मच कटा पिस्ता, एक चुटकीभर केसर की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए शकरकंद उबालकर, छीलकर चलनी से निकाल लें। घी गर्म कर शकरकंद डालकर धीमी आँच पर अच्छी तरह सेकें। जब यह घी छोड़ दे तब चीनी मिलाकर 4–5 मिनट पकाएं। जब चीनी की चाशनी बन जाए तब केसर और इलायची मिलाकर उतार लें। ऊपर से पिस्ता बुरका कर गरम–गरम परोसें।

रसोई में शकरकंदी की चाट

शकरकंदी की तरह ही इसका चाट भी बनाया जा सकता है। इसके लिए करीब 250 ग्राम शकरकंदी को धुन कर अच्छी तरह पतले टुकड़ों में काट लें। फिर इसमें स्वादानुसार नमक, नींबू का रस, धनिया अथवा पुदीने की चटनी मिलाकर भुनें। सुनहरा होने के बाद करीब पांच ग्राम जीरा पाउडर डालें। इसके बाद चाट मसाला मिलाकर भुनें। फिर अदरक, लहसुन व मिर्च का पेस्ट मिलाकर हल्की भुन दें। इसके बाद चाहें तो टिक्की बनाकर हल्का तल लें। इसके बाद दही और चटनी का कवर देकर पसोरा जा सकता है। चाहे तो इसी टिक्की को बेसन का कवर देकर पकौड़े के रूप में भी तैयार कर सकती हैं। पकोड़े को मीठी चटनी के साथ परोसा जा सकता है।

शकरकंदी के गुलाब जामुन

शकरकंद को गुलाब जामुन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए एक किलो शकरकंदी में एक किलो चीनी, एक कप मैदा, आधा चम्मच सोडा, एक चम्मच देसी घी व तलने के लिए एक बड़ा चम्मच तेल की जरूरत पड़ती है। शकरकंदी उबालने के बाद छिल लें। फिर इसे मसल दें। चीनी की चाशनी तैयार करने के बाद सोडा और मैदा को एक साथ छान लें तथा थोड़े से घी का मोयन देकर उसे उबली शकरकंदी के साथ गूंथ लें। फिर गुलाब जामुन के आकार के गोले बनाने के बाद तेल में सुनहरा होने तक तल लें। तले हुए गोलों को चाशनी में डुबा दें।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : acyjnp@gmail.com

सफलता की कहानी

बालिका शिक्षा को समर्पित जीवन

इंद्रेश चौहान

कुछ लोग खुद के साथ ही दूसरों का जीवन सुधारने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। जो लोग खुद के साथ दूसरों के जीवन सुधार में जुटते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए भले मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन उनका संघर्ष रंग लाता है। वह समाज के अगुआ बन जाते हैं और समाज उन्हें हाथों-हाथ लेता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है फर्रुखाबाद के कमालगंज कस्बे की बेटी ने। इस बेटी ने न सिर्फ खुद उच्च शिक्षा हासिल की बल्कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसने एक बार जो कदम बढ़ाया तो फिर बढ़ते ही चले गए। आज वह इंटर कालेज संचालित कर रही हैं। इस कालेज में इलाके की सैकड़ों बेटियां शिक्षा हासिल कर रही हैं। गरीब बेटियों का खर्चा मधु खुद उठाती हैं।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज के इंद्रा नगर निवासी राम आसरे व विंद्रा देवी के आंगन में चौथी संतान के रूप में एक जनवरी 1983 को एक बेटी ने जन्म लिया। माता–पिता ने बेटी का नाम रखा मधु। अपने नाम के अनुरूप मधु बचपन से ही माता–पिता की चहेती रही। इस वजह से उसे कई बार बड़े भाई गिरीश चंद्र, सतीश व बहन रामबेटी उर्फ गुड़िया की नाराजगी भी झेलनी पड़ती। बचपन से ही वह मेधावी रही। राम आसरे ने अन्य बच्चों की तरह ही मधु का भी कस्बे के ही

सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। मधु को अपने परिजनों का भरपूर प्यार मिला, लेकिन वह पास–पड़ोस में बेटियों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार को लेकर चिंतित रहती। अक्सर उसके मन में एक सवाल उठता कि हमारे समाज में बेटा व बेटी के बीच अंतर क्यों रखा जाता है। वह अक्सर इस सवाल का जवाब अपने पिता से भी पूछती। पिता सामाजिक परंपरा का हवाला देते और इस परंपरा को तोड़ने के लिए बेटी को प्रोत्साहित भी करते। पिता के इस प्रोत्साहन ने मधु के जीवन की दिशा ही बदल दी। वह हमेशा बेटियों की शिक्षा को लेकर चिंतन करने लगी और ठान लिया कि वह बेटियों के हक की लड़ाई को अपना जीवन समर्पित कर देगी। इसके बाद तो उसने जो एक बार कदम आगे बढ़ाया फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मधु बताती है कि उसके साथ पांचवीं में करीब सौ छात्राएं स्कूल जाती थी, लेकिन जब वह छठीं कक्षा में गई तो 30 से 40 सहेलियां ही स्कूल पहुंच पाई। बाकि अन्य ने किसी न किसी कारण स्कूल जाना बंद कर दिया। उसने अपनी सहेलियों से पूछा कि आखिर वे स्कूल जाना बंद क्यों कर देती हैं। सभी की अलग–अलग कहानी थी। इस कहानी ने भी मधु को पहले तो परेशान किया, लेकिन धीरे–धीरे उसने इस कहानी के खात्मे की ओर बढने की ठान ली। बचपन की सहेलियों का साथ छूटा तो दूसरी सहेलियां मिलती चली गई।

जब वह 1994 में आठवीं में पहुंची तो उसकी बचपन की मात्र 18 सहेलियां ही साथ थीं। लेकिन दूसरे गांवों की कुछ सहेलियां साथ हो ली थी। ऐसे में स्कूल में छात्राओं की संख्या तो दिखती थी, लेकिन यह छात्राएं अलग–अलग गांवों की थी। इसी तरह वर्ष 1996 में उसने हाईस्कूल की परीक्षा दी। इस परीक्षा में उसके साथ बचपन की करीब आठ सलेहियां ही साथ में थीं बाकि दूसरे गांवों से आई थीं। यहां पढ़ाई के दौरान भी उसके मन में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति बरती जा रही लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हुए। हाईस्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद मधु ने तय किया कि वह बालिकाओं के लिए स्कूल खोलेंगी। बालिकाओं के साथ परंपरा के नाम पर हो रहे दोहरे व्यवहार को खत्म करेंगी। उसने अपनी इस मंशा को पिता को बताया। पिता ने समझाया कि क्यों बेकार में ऐसे पचड़े में फंस रही है, लेकिन दृढ़ निश्चय कर चुकी मधु कहां मानने वाली थी। उसने हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही एक छप्पर में गांव की बच्चियों को निशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया। बेटी की इस इच्छा को देखते हुए राम आसरे ने उसे पांच बीघा जमीन दे दी। बस मधु को पिता का समर्थन मिल गया। उसने मां दुर्गा शिक्षण संस्थान के नाम से स्कूल शुरू कर दिया। खुद की पढ़ाई के साथ ही सुबह–शाम स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने लगीं। वह देर रात तक अपनी पढ़ाई करती और मोहल्ले की दूसरी बेटियों को भी पढ़ाती रहती।

शिक्षा की इस धुन के दम पर मधु आगे बढ़ती चली गई। उसे अपने आसपास की तमाम बच्चियां परिजनों से ज्यादा प्यार करने लगी। मधु को बच्चियों से मिल रहे इस प्यार ने बांधे रखा। वह बच्चियों की जिंदगी को ही अपनी जिंदगी मानने लगी। वह चाहती थी कि उसके मोहल्ले ही नहीं आसपास के गांवों की सारी बच्चियां उच्च शिक्षा हासिल कर नाम रोशन करे। पहले उसके पास पढ़ने के लिए इंद्रानगर की ही छात्राएं स्कूल आती थीं। फिर धीरे–धीरे आसपास के मोहल्लों की छात्राएं भी उसके स्कूल में आने लगीं। इसके बाद तो मधु की ख्याति आसपास के गांवों में फैल गई। तमाम बच्चियां उसके पास पढ़ने के लिए आती। इस दौरान बच्चियां खुद के साथ परिवार में हो रही अनदेखी पर भी बातचीत करतीं। मधु बताती है कि उनकी हमेशा कोशिश रही कि हर बच्ची की सोच को सकारात्मक बनाएं। कई बार छात्राएं अपने परिवार से खिन्न नजर

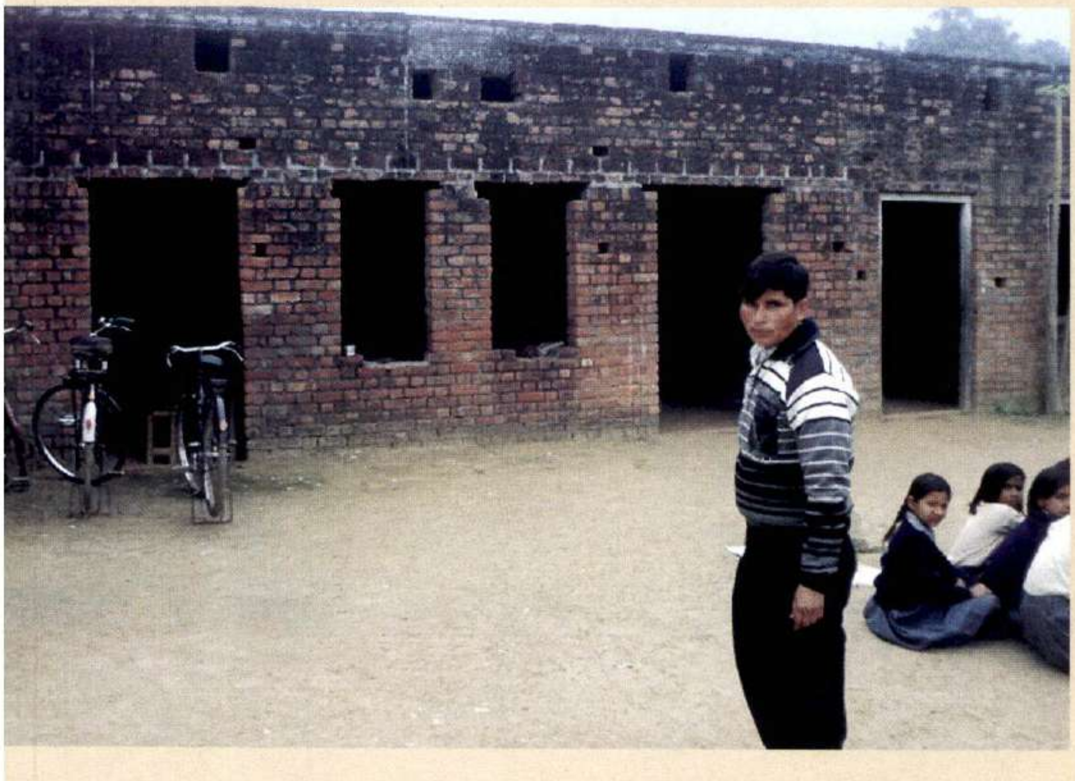

अभी तो उनसे प्यार से बातचीत करती और भरोसा दिलाती कि वह तो उनके साथ है ही। परिवार की ओर से बात-बात में रोकने और टोकने से खिन्न छात्राओं को भी समझाती। बताती कि उनके परिवार के लोग भलाई चाहते हैं, इसी वजह से उन्हें टोकते हैं। समझाने-बुझाने पर छात्राएं मान जाती और परिवार के प्रति उनकी नाराजगी भी दूर हो जाती। यह सिलसिला आज भी जारी है। वह अपने स्कूल की छात्राओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाती हैं। छात्राओं की सोच सकारात्मक करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। मधु का मानना है कि हर नकारात्मक सोच समस्या की जड़ होती है। समस्या पैदा करने वालों को भी कभी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बस क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय खुद करना चाहिए। मधु कहती है कि वह अपने स्कूल की बच्चियों को समझाती है कि जो कोई भी सलाह दे, उसे ध्यान से सुनना चाहिए और क्या गलत है और क्या सही, इसका निर्णय खुद करना चाहिए। सुनी-सुनाई बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वह कहती है कि खुद पर भरोसा हो तो हर मंजिल हासिल हो जाती है। खुद का किया हुआ कार्य ही काम आता है।

मधु बताती है कि वर्ष 1998 में मां की मृत्यु हो गई। बड़ी बहन रामबेटी की शादी हो चुकी थी। घर में कामकाज करने वाला कोई नहीं था। भाइयों ने समझाया कि अब स्कूल के बजाय घर के कामकाज में ध्यान दें। उसकी पढ़ाई भी छुड़ाने की कोशिश की गई। मधु बताती है यह पल उसके जीवन का सबसे दुखदायी पल था। जो दूसरी बच्चियों को समझाती थी आज वही झंझावात में घिर गई थी। तमाम लोग उसे अलग-अलग सलाह दे रहे थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि स्कूल का चक्कर छोड़कर वह घर की जिम्मेदारी उठाए और शादी-विवाह करके अपना भी घर बसा ले। लेकिन वह पीछे मुड़कर उन तमाम बच्चियों की ओर देखती जो उससे बेहद लगाव रखती थी। उसे अपनी अध्यापक से कहीं ज्यादा दोस्त मानती थीं। उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई दिनों के विचार के बाद तय किया कि वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगी और स्कूल भी चलाएगी। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी मधु ने हार नहीं मानी। वह इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुकी थी। एक तरफ स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां थीं तो दूसरी तरफ घर-परिवार से पड़ रहा दबाव। तीसरी तरफ उसकी खुद की पढ़ाई थी। इन तीन रास्ते पर एक साथ चलना मुश्किल ही नहीं नामुकिन जैसा था, लेकिन मधु ने तीनों राह को आसान कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती घर का नाम निबटाती और स्कूल पहुंच जाती। बच्चियों को पढ़ाने के बाद फिर कुछ देर घर पहुंचकर कामधंधा निबटा लेती। खुद की पढ़ाई को लेकर चिंता हुई तो उसने तय किया कि अब वह खुद प्राइवेट पढ़ाई करेगी। स्नातक की पढ़ाई उसने जारी रखी और दूसरी तरफ मां दुर्गा शिक्षण संस्थान को नियमित स्कूल के रूप में संचालित करने लगीं। फिर क्या था स्कूल चल पढ़ा। प्राइमरी सेक्शन चलता रहा। वर्ष 2001 में स्नातक किया और फिर 2003 में हिंदी साहित्य में परास्नातक की डिग्री हासिल की। मधु बताती है कि इस दौरान उसके स्कूल की ख्याति पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लड़कियों के साथ ही लड़के भी प्रवेश लेने लगे। उसकी सहेली कांति ने उसे न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि स्कूल चलाने के लिए आर्थिक मदद भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मां दुर्गा शिक्षण संस्थान के नाम से वर्ष 2003 में जूनियर हाईस्कूल की मान्यता ली। इसके बाद वर्ष 2006 में हाईस्कूल की मान्यता मिली। पहली बार उनके स्कूल की तीन बच्चियों ने हाईस्कूल की परीक्षा में 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल कर जिला स्तर पर नाम कमाया। मधु बताती हैं यह पल उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद तो उन्होंने स्कूल को ही अपना जीवन मान लिया है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपना परिवार। शादी-विवाह करके घर बसाने की बजाय वह स्कूल को ही अपना सब कुछ मानती हैं। आज इस स्कूल की बदौलत

उनकी पहचान पूरे इलाके में होती है। वर्ष 2013 में इंटर कालेज की भी मान्यता मिल चुकी है।

समाज की हर बेटी हो पढ़ी–लिखी

अब मधु विद्यालय संचालन के साथ ही खुद पीएचडी करना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि इलाके की हर गरीब बच्ची उनके स्कूल में पढ़कर नाम रोशन करे। वह बच्चियों से मामूली फीस लेती हैं। इसमें भी जो बच्चियां गरीब परिवार की हैं, उन्हें निशुल्क शिक्षा दे रही हैं। मधु बताती है कि उनकी कोशिश है कि पैसे की वजह से किसी बच्ची की पढ़ाई बंद न हो। इस वजह से वह लोगों के बीच भी जाती हैं। वह कहती हैं कि जिस भी बच्ची के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि उसका परिवार गरीब है और फीस नहीं दे सकता, उसके घर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लेती हैं। स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलाने के साथ ही सरकार की ओर से चलने वाली योजनाओं के बारे में भी परिवार को बताती हैं और उन्हें सरकारी मदद दिलाने की भी कोशिश करती हैं।

घर–घर जाकर प्रेरित करती हैं

इतना ही नहीं वह इलाके में घर–घर जाकर लोगों को बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती हैं। महिलाओं के बीच बैठ कर उन्हें समझाती हैं कि बेटियां पढ़ी–लिखी होंगी तो क्या–क्या फायदे होंगे। मधु कहती हैं कि शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समाज में तमाम ऐसे भी लोग थे, जो उनके प्रयास का उपहास उड़ाने में पीछे नहीं रहते थे। वह पहले पैदल हीं गांव–गांव में जाती थीं, फिर साइकिल चलाना शुरू किया। अब उन्होंने स्कूटी ले रखी है। वह स्कूटी से भागदौड़ करती हैं। गांवों में जाकर महिलाओं के बीच बैठ जाती हैं और उन्हें समझाती हैं कि उनके न पढ़े–लिखे होने से किस तरह की दिक्कते उठानी पड़ रही है। यदि उनकी बेटी भी नहीं पढ़ेगी तो उसे भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस पर परिवार के लोग मान जाते हैं और बेटी को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाते हैं।

शिक्षा से फैलेगा उजियारा

बुलंद हौंसले के साथ मधु कहती हैं कि जिस दिन देश की सारी बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेंगी, उसी दिन आधी आबादी के खिलाफ चल रही शोषण की कहानी का अंत हो जाएगा। बालिकाएं शिक्षित होंगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगी। वह कहती हैं कि इस कालेज के जरिए वह आधी आबादी का नया आंदोलन चला रही हैं। इलाके की बालिकाओं के उच्च शिक्षा ग्रहण करने और उनके अपने पैरों पर खड़े होते ही एक नई तरह की तरक्की दिखाई पड़ेगी। बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करके जब खुद अपना कैरियर संवारेंगी तो सभी समस्याओं का अपने आप अंत हो जाएगा। उन्हें छोटे–छोटे खर्चों के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह कहती हैं कि स्कूल से निकलने वाली तमाम छात्राएं आती हैं और बताती हैं कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे में वह उन्हें स्वरोजगार अपनाने पर बल देती हैं। चूंकि सरकार की ओर से स्वरोजगार से जुड़े तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपना काम शुरू कर सकती हैं।

बेहद प्यार करता है पूरा परिवार

मधु बताती हैं कि जिस वक्त उन्होंने स्कूल शुरू किया था, उस समय कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। परिवार के भी कुछ सदस्य नहीं चाहते थे कि वह स्कूल में ही जुटी रहे। बल्कि लोगों की इच्छा थी कि शादी–ब्याह करके घर बसा ले, लेकिन अब पूरा परिवार बेहद प्यार करता है। वह अपने भाइयों के साथ ही भतीजों की भी शादी कर रही हैं। उसके स्कूल की वजह से पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। मधु बताती है कि आज उसका पूरा परिवार उसे बेहद प्यार करता है। उसके भाई, भाभी और भतीजों को उन पर गर्व है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : indreshc22@gmail.com

हमारे आगामी अंक

अप्रैल, 2014	–	अंतरिम बजट 2014–15
मई, 2014	–	ग्रामीण भारत में कृषि आधारित उद्योग
जून, 2014	–	कृषि विकास एवं नई तकनीक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

अकेले तो यह देश बना नहीं है,
हमने एक-दूसरे का साथ दिया,
तभी तो बना यह भारत।

कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया,
देश को तरक्की की राह पर,
तो क्यूं न कहें, हम सबने मिलकर
बनाया यह भारत।

65वां गणतंत्र दिवस

davp 22202/13/0100/1314

KH-274/2013

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2012–14
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2012–14

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

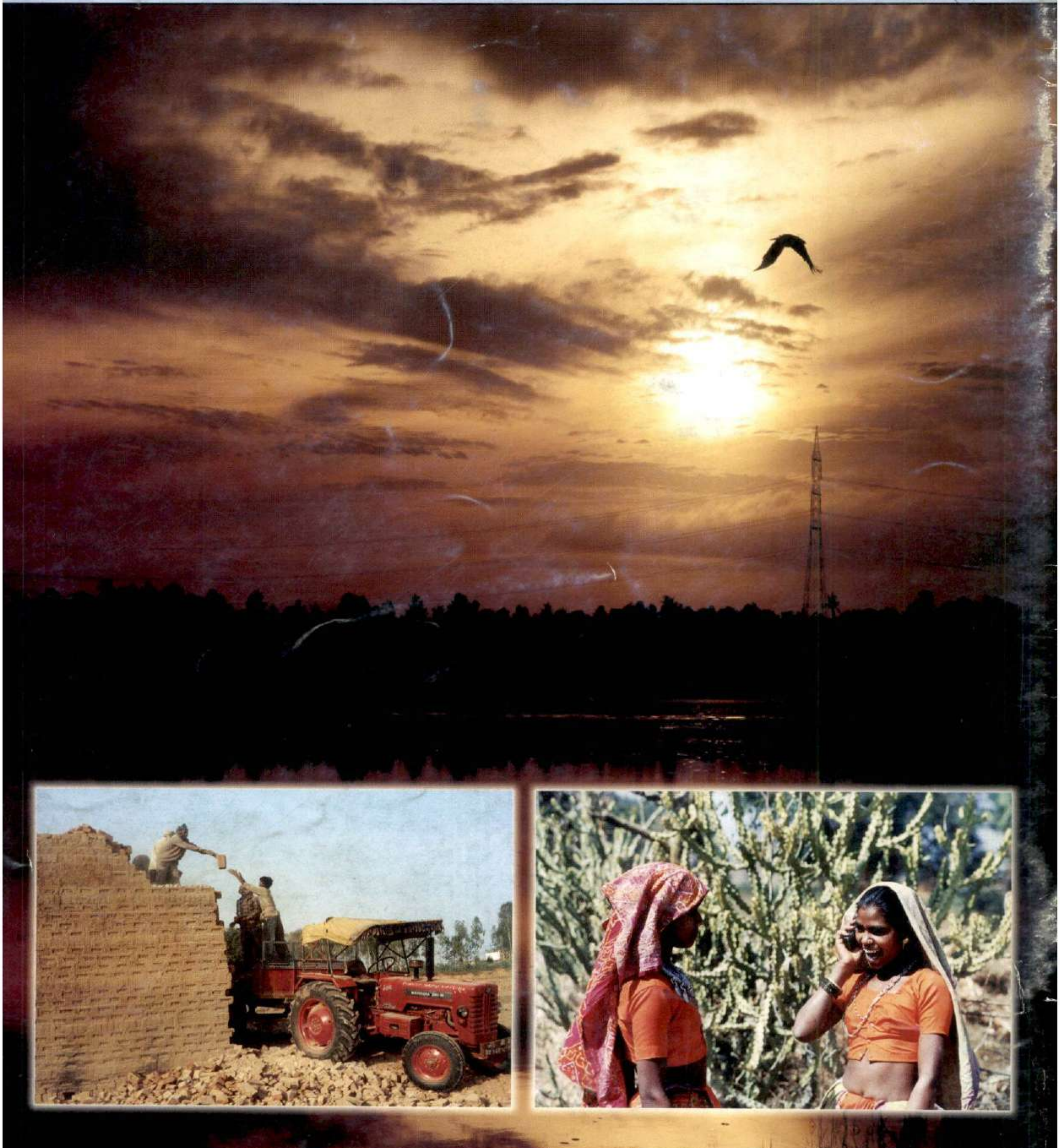

प्रकाशक और मुद्रक : ईरा जोशी अपर महानिदेशक (प्रमुख), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना